20 वीं वार्षिक रिपोर्ट 2001-02

20TH ANNUAL REPORT 2001-02

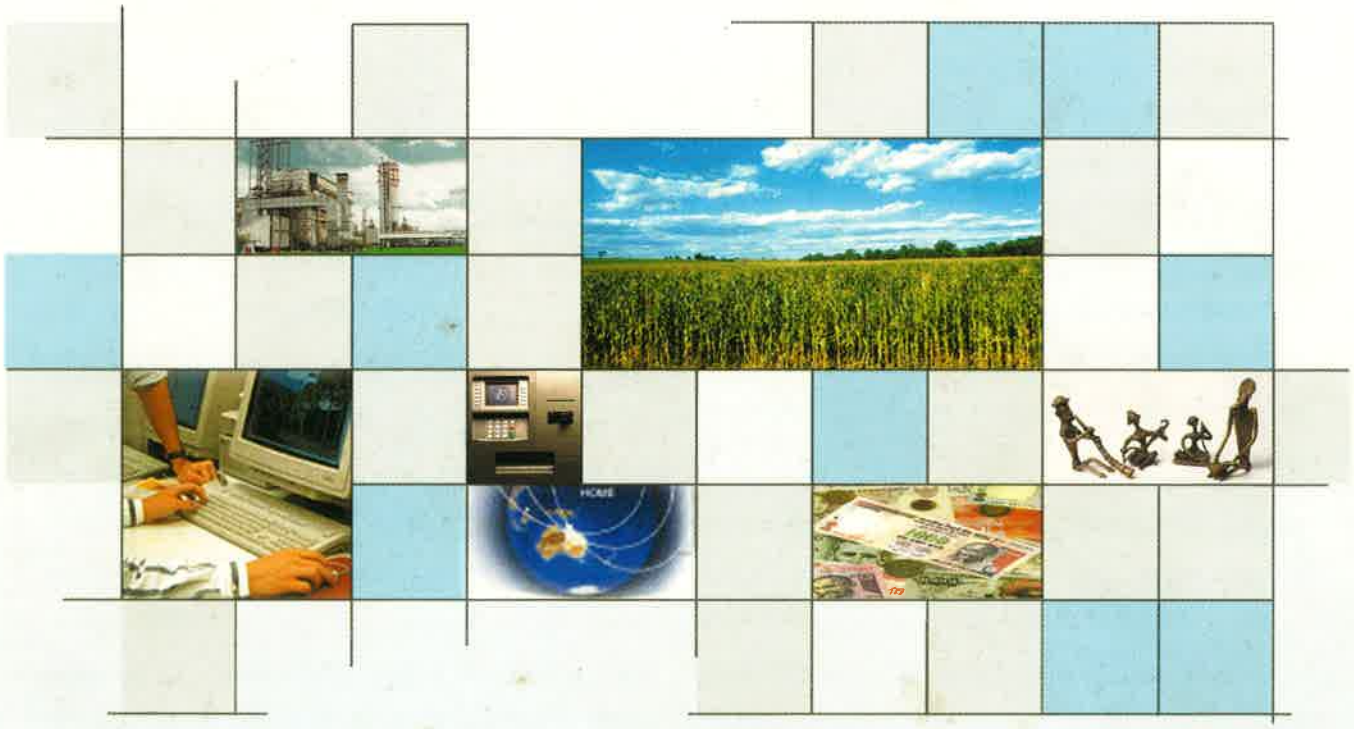

भारतीय निर्यात-आयात बैंक

EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA

मुक्त व्यापार और भूमंडलीकरण, औद्योगिक क्रांति के समय से विकास के प्रमुख साधन रहे हैं। भूमंडलीय व्यापार के इतिहास की प्रमुख घटना 1990 के दशक में विश्व व्यापार संगठन का प्रादुर्भाव रही है। विश्व व्यापार संगठन नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली की स्थापना के संस्थागत तंत्र का पोषक है। यह एक ऐसा बहुदेशीय मंच है जहाँ नियम बनाये जाते हैं तथा उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्थायें लागू की जाती हैं।

विश्व व्यापार संगठन के परिवेश में भूमंडलीय व्यापार

विश्व व्यापार संगठन के युग में, व्यापार, नये अवसर और चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है। व्यापारी राष्ट्रों की सौदेबाजी करने की असमान सामर्थ्य के होते हुए विश्व व्यापार संगठन जैसा संगठन विकासशील राष्ट्रों को अपनी चिंतायें व्यक्त करने का बेहतर अवसर प्रदान करता है। विकासशील देश, एक जैसी सोचवाले देशों के बीच सर्वसम्मति का निर्माण करके समझौतों की चालू बातचीतों में सौदेबाजी की अपनी सामर्थ्य की अभिवृद्धि कर सकते हैं।

समझौतों की बातचीतों के हाल ही के दौरों में व्यापार और प्रतिस्पर्धा,व्यापार तथा निवेश, सरकारी प्रापण एवं व्यापार सुगमीकरण में पारदर्शिता जैसी अधिकाधिक समस्याओं को विश्व व्यापार संगठन के दायरे के अंतर्गत लाये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।अत: भारत के लिए भूमंडलीय व्यापार के उभरते हुए नियमों से समसामयिक होने की आवश्यकता है। उसे इसके एक कदम और आगे जा कर उन क्षेत्रों में उदारीकरण को आगे बढ़ाने की पहल करनी चाहिये जिनमें उसे तुलनात्मक लाभ प्राप्त है। उदाहरणार्थ, कुशल जनशक्ति का विशाल समूह भारत को उन सेवाओं में तुलनात्मक लाभ प्रदान करता है जिनका उपयोग वह सेवाओं के व्यापार की समझौता-वार्ताओं में पूर्णरूपेण कर सकता है।

व्यापार की समझौता-वार्ताओं के हाल ही के दौर से भी अब तक की कृषि सहायिकियों के कम करने की प्रबलतम प्रतिबद्धता का पता चलता है। इससे भारत के कृषि उत्पादों के लिए नये अवसर खुले हैं। इस संबंध में, एक्जिम बैंक ने भारत के कृषि उत्पादों के संवर्धन के लिए हाल ही में पहलों की एक शृंखला प्रारंभ की है। उदाहरणार्थ समुद्रपारीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को प्रदान की गई एक्जिम बैंक की ऋण-व्यवस्थाओं के अंतर्गत निर्यात-वित्त की पात्र मदों में पहली बार कृषि उत्पादों को शामिल किया गया है।

विश्व व्यापार संगठन के लक्ष्यों में से एक लक्ष्य संपूर्ण अविनियमन होने से घरेलू उद्योग के लिए प्रतिस्पर्धा का सामना करने हेतु तत्पर होने की आवश्यकता है। भारत की निर्यात-वित्त की प्रमुख संस्था के रूप में एक्जिम बैंक, विगत वर्षों के दौरान भारतीय कंपनियों के बीच निर्यात की क्षमता का सृजन करने में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। बैंक ने भारत के परियोजना निर्यातों को सुगम बनाने में विशेष रूप से प्रमुख भूमिका निभायी है। भूमंडलीय व्यापार के उभरते हुए परिदृश्य में एक्जिम बैंक भारतीय उद्योग को भूमंडलीय प्रतिस्पर्धात्मकता प्राप्त करने और नये बाज़ारों का पता लगाने में उसकी सहायता करने के लिए उसके साथ घनिष्ठ रूप से कार्य करना जारी रखेगा।

विषय सूची

निदेशक मंडल	1
गत दशक	2
आर्थिक परिवेश	3
निदेशकों की रिपोर्ट	15
तुलन-पत्र एवं लाभ और हानि लेखा	31

इंटरनेट पर इस रिपोर्ट की प्राप्ति के लिए कृपया आप हमें www.eximbankindia.com पर देखिये

निदेशक मंडल

श्री दीपक चटर्जी
सचिव
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

श्री शशांक
सचिव (ई आर)
विदेश मंत्रालय

श्री वी. गोविंदराजन
सचिव
औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

श्री शेखर अग्रवाल
संयुक्त सचिव
बैंकिंग प्रभाग
वित्त मंत्रालय

श्री एस. एल. परमार
कार्यपालक निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक

श्री पी. पी. वोरा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

श्री पी. एम. ए. हकीम
अध्यक्ष-व-प्रबंध निदेशक
भारतीय निर्यात ऋण
गारंटी निगम लि.

श्री टी.सी. वेंकट सुब्रमणियन
प्रबंध निदेशक
भारतीय निर्यात-आयात बैंक

श्री जानकी बल्लभ
अध्यक्ष
भारतीय स्टेट बैंक

श्री आर. वी. शास्त्री
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
केनरा बैंक

श्री एस. सी. बसु
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
बैंक ऑफ महाराष्ट्र

डा. पुलिन बी. नायक
प्रोफेसर
दिल्ली स्कूल ऑफ ईकोनोमिक्स

डा. एस. चन्द्रा
मैनेजमैंट कन्सल्टेंट
पैन एशिया मैनेजमैंट फाउंडेशन
नई दिल्ली

डा. विनयशील गौतम
प्रोफेसर
प्रबंधन विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी
संस्थान, नई दिल्ली

डा. बुद्धाजीराव आर. मुलिक
वाइस प्रेसिडेण्ट
एशियन एसोसिएशन ऑफ
एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, पुणे

गत दशक

(रुपये मिलियन में)

	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98#	1998-99#	1999-2000#	2000-01#	2001-2002#	संचयी (1992-2002)	वार्षिक औसत संवृद्धि %
कारोबार												
अनुमोदित निर्यात बोलियाँ	86370	144590	95880	72000	93219	121741	160826	160643	42880	लागू नहीं	1050019	5
सैद्धांतिक वचनबद्धताएँ*	8900	1730	4101	1766	1076	7175	8562	14757	6878	लागू नहीं	72847	42
प्राप्त निर्यात संविदाएँ	12655	16769	17030	16030	23196	18946	33068	34440	18331	41620	242962	23
ऋण												
मंजूरियाँ	15902	6508	29030	24657	12421	18406	18380	28318	21743	42407	229172	44
संवितरण	12956	8109	15561	21300	12566	13704	12707	17296	18964	34529	178765	20
बकाया राशियाँ	18419	20337	25961	29302	34513	38248	42641	50833	56443	66102		15
गारंटियाँ												
सैद्धांतिक वचनबद्धताएँ*	6018	7682	8700	9810	11388	12191	16743	22097	5230	10604	106984	16
मंजूर की गईं गारंटियाँ	1268	1369	690	2027	1365	4024	2633	4404	2118	5450	20428	59
जारी की गईं गारंटियाँ	1043	1037	832	1731	1481	1912	2474	3017	1741	4164	16214	26
बकाया गारंटियाँ	12134	7517	6836	9081	10215	12094	10553	11147	10740	11273		1
संसाधन												
प्रदत्त पूँजी	3356	3574	4403	5000	5000	5000	5000	5500	5500	6500		
आरक्षित राशियाँ	1819	2261	3119	3997	5445	7058	8352	9584	10664	12026		
नोट, बाँड और डिबेंचर	5240	6498	6440	8861	9165	8267	12850	20944	22915	33158		
जमा राशियाँ	-	1504	1620	1404	660	371	104	2617	2797	3416		
अन्य उधार राशियाँ	11034	10827	14431	13346	20352	21808	21285	20354	20255	16619		
कुल संसाधन	26935	28916	36067	39694	49329	51201	56665	70264	73981	82734		
निष्पादन												
कर पूर्व लाभ	467	580	788	1100	1516	2017	2400	2273	2047	2212	15400	21
करोत्तर लाभ	467	580	788	1100	1516	2017	1650	1651	1541	1712	13022	
लाभांश	120	140	160	200	310	410	330	350	380	420	2820	17
स्टाफ़ (संख्या)@	112	112	104	116	126	136	147	150	154	163		
अनुपात												
पूँजी आस्ति अनुपात (%)**	19.2	20.2	20.9	22.7	21.2	23.1	23.6	21.5	21.8	22.4		
पूँजी पर कर पूर्व लाभ (%)	14.8	16.7	19.8	23.4	30.3	40.3	48.0	43.3	37.2	36.9		
पूँजी और प्रारक्षित राशियों पर कर पूर्व लाभ (%)	9.7	10.5	11.8	13.3	15.6	17.9	18.9	16.0	13.1	12.8		
आस्तियों पर कर पूर्व लाभ (%)	1.8	2.1	2.4	2.9	3.4	4.0	4.4	3.6	2.8	2.8		
प्रति कर्मचारी कर पूर्व लाभ	3.96	5.18	7.30	10.00	12.53	15.39	16.96	15.31	13.47	13.96		

* सैद्धांतिक रूप में वचनबद्धताएँ उस सीमा तक हैं जो बोली प्रस्तुत करने की अवस्था में एक्जिम बैंक द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गयी थीं। बोलियाँ जब संविदाओं का रूप ग्रहण कर लेती हैं तब ऐसी वचनबद्धताएँ मंजूरियों में परिवर्तित हो जाती हैं।

** पूँजी आस्ति अनुपात, वर्ष के अंत में पूंजी और आरक्षित राशियों के आस्तियों के प्रतिशत के रूप में है। अन्य अनुपात उक्त वर्ष के औसत मूल्यों पर आधारित हैं।

\# निर्यात ऋण गारंटी निगम द्वारा निपटाये गये दावों के ऋणों और अग्रिमों की मानी गई शुद्ध राशियाँ।

@ स्थायी कर्मचारियों की संख्या।

टिप्पणी : ये आँकड़े सामान्य निधि के संबंध में हैं।

आर्थिक परिवेश

भूमंडलीय अर्थव्यवस्था

भूमंडलीय उत्पादन ने 2001 के दौरान 2.5 प्रतिशत की संवृद्धि दर्ज की है जो कि पिछले वर्ष के दौरान दर्ज हुई 4.7 प्रतिशत की संवृद्धि से कम है। विश्वास और वित्तपोषण की अपकर्ष की परिस्थितियों में, विशेषकर उभरते हुए बाज़ारों में विश्व के सभी प्रमुख क्षेत्रों ने धीमा कार्यकलाप दर्ज किया है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं के सकल देशी उत्पाद की संवृद्धि में तेज़ी से गिरावट आई है और वह 2000 के 3.9 प्रतिशत से कम होकर 2001 में 1.2 प्रतिशत हो गई है जबकि विकासशील देशों ने भी 2000 के दौरान दर्ज हुई 5.7 प्रतिशत की तुलना में 2001 में 4.0 प्रतिशत की कम संवृद्धि दर्ज की है।

11 सितम्बर की घटनाओं के परिणाम-स्वरूप अमेरिका के व्यवसाय-निवेश में काफी अधिक कमज़ोरी आने, स्टाकों में तेज़ी से कमी आने तथा कम हुई उपभोक्ता माँग और व्यय के फलस्वरूप कार्यकलाप में तेज़ी से मंदी आ गई। परिणामत: वास्तविक सकल देशी उत्पाद में 2001 में 1.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो 2000 की 4.1 प्रतिशत की वृद्धि से कम है। इस पर भी, ब्याज दरों की कटौती तथा राजकोषीय नीति के सरल बनाये जाने सहित समष्टिगत आर्थिक प्रोत्साहन, 2002 में, पुन:प्राप्ति को सुदृढ़ बनाने में योगदान देंगे। कनाडा के वास्तविक सकल देशी उत्पाद की संवृद्धि दर में भी गिरावट आई है और वह 2000 में 4.4 प्रतिशत से कम होकर 2001 में 1.5 प्रतिशत हो गई है तथा यह मुख्य रूप से अमेरिका की गतिविधियाँ दर्शाती है।

यूरो क्षेत्र में, 2000 के मध्य से आई मंदी जारी रही है और वह 2001 के दौरान अधिक व्यापक रूप में फैल गई है। 2001 में, वास्तविक सकल देशी उत्पाद की संवृद्धि पिछले वर्ष के 3.4 प्रतिशत से कम होकर 1.5 प्रतिशत हो गई है। घरेलू माँग के कमज़ोर पड़ने, ईक्विटी बाज़ारों के गिरावट की ओर जाने तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र की गिरावट और कमज़ोर रोज़गार संवृद्धि ने समग्र आर्थिक कार्यकलाप पर प्रभाव डाला है। जर्मनी में, 2001 में, वास्तविक सकल देशी उत्पाद की संवृद्धि में गिरावट आई है और वह 2000 की 3.0 प्रतिशत से कम होकर 0.6 प्रतिशत हो गई है। इटली के सकल देशी उत्पाद की संवृद्धि 2001 के दौरान 1.8 प्रतिशत थी जो पिछले वर्ष दर्ज हुई 2.9 प्रतिशत की संवृद्धि की अपेक्षा कम थी। फ्रांस के सकल देशी उत्पाद की संवृद्धि उपभोक्ताओं और व्यवसाय के हुए विश्वास तथा बेरोज़गारी में वृद्धि होने के कारण पिछले वर्ष की 3.6 प्रतिशत की संवृद्धि से कम होकर 2001 में 2.0 प्रतिशत हो गई है। यूरो क्षेत्र के बाहर, यूनाइटेड किंगडम में, निजी खपत की तीव्र संवृद्धि तथा सरकारी व्यय की बजटित वृद्धियों से उत्प्रेरित होकर आर्थिक कार्यकलाप और घरेलू माँग ने भूमंडलीय गिरावट के प्रति अधिक लचीलापन दर्शाया है। वास्तविक सकल देशी उत्पाद ने 2001 में 2.2 प्रतिशत की संवृद्धि दर्ज की है जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष की संवृद्धि 3.0 प्रतिशत थी।

जापान की आर्थिक परिस्थितियों का बिगड़ना जारी रहा है और 2001 में सकल देशी उत्पाद ने 2000 की 2.2 प्रतिशत संवृद्धि के मुकाबले 0.4 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है। मार्च 2001 में नये मौद्रिक ढाँचे के अपनाये जाने के बावजूद निजी खपत कम बनी हुई है जिससे कम होती हुई आयों तथा बढ़ती हुई बेरोज़गारी की चिंताओं एवं भावी निगमित पुनर्विन्यास का पता लगता है।

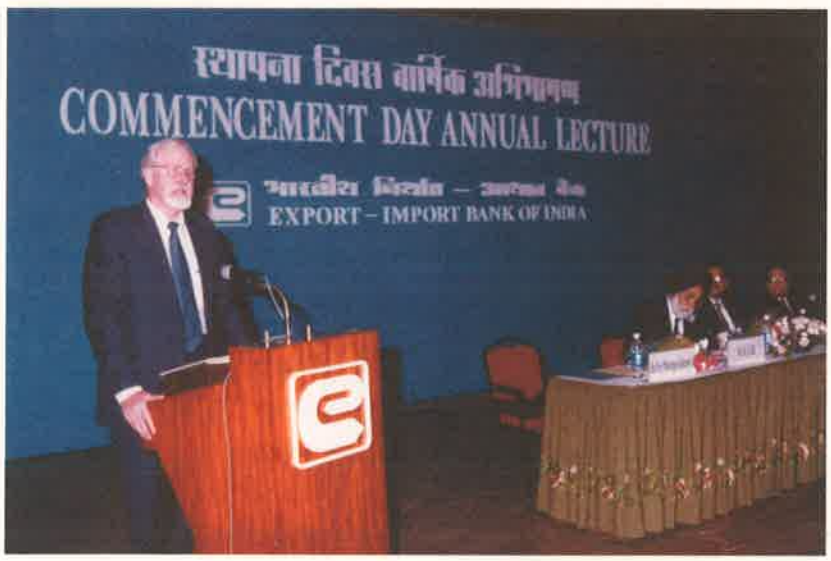

डा. पर पिन्सटुप-एंडसन, डायरेक्टर जनरल, इंटरनैशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टिट्यूट, वाशिंग्टन डी. सी., बैंक का स्थापना दिवस वार्षिक व्याख्यान 2002, करते हुए। डा. एम. एस. गिल, पूर्व, संघ कृषि सचिव और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने अध्यक्षता की।

2001 के दौरान, एशिया का आर्थिक कार्यकलाप, भूमंडलीय मंदी, विशेषत: उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र की मंदी तथा जापान की कमज़ोर होती हुई संवृद्धि से प्रभावित हुआ है। निर्यातों और औद्योगिक उत्पादन की तेज़ गिरावट के कारण चार नई औद्योगीकृत अर्थ-व्यवस्थाओं (हाँगकाँग, सिंगापोर, ताइवान और कोरिया) तथा मलेशिया ने इस क्षेत्र की प्रपाती गिरावट दर्ज की है। 2001 के दौरान ताइवान और सिंगापोर के सकल देशी उत्पाद में क्रमश: 1.9 प्रतिशत और 2.1 प्रतिशत की गिरावट आई है जबकि इसकी तुलना में, पिछले वर्ष के दौरान इनके सकल देशी उत्पाद में क्रमश: 5.9 प्रतिशत और 10.3 प्रतिशत की संवृद्धि हुई थी। 2001 में, कोरिया, हाँग काँग और मलेशिया, के सकल देशी उत्पाद की संवृद्धि में क्रमश: 3.0 प्रतिशत, 0.1 प्रतिशत और 0.4 प्रतिशत की तेज़ी से गिरावट आयी है जबकि 2000 में यह क्रमश: 9.3 प्रतिशत, 10.5 प्रतिशत और 8.3 प्रतिशत थी। इंडोनेशिया और थाइलैंड दोनों ने भी 2001 के दौरान कमतर संवृद्धि दर्ज की है। इसके विपरीत 2001 में चीन का आर्थिक कार्यकलाप अपेक्षाकृत शक्तिशाली बना रहा है और उसके सकल देशी उत्पाद की संवृद्धि की दर 7.3 प्रतिशत थी जबकि इसकी तुलना में 2000 में 8.0 प्रतिशत की संवृद्धि दर्ज की गई थी। इस क्षेत्र के देशों की बहुत सी संभावनायें, निर्यात मांग विशेष रूप से प्रौद्योगिकी क्षेत्रों की पुन: प्राप्ति की गति से निर्धारित होंगी।

2001 में, अफ्रीका के समग्र सकल देशी उत्पाद ने 3.7 प्रतिशत की संवृद्धि दर्ज की है जबकि इसकी तुलना में वह 2000 में 3.0 प्रतिशत थी। अफ्रीका के सामने आनेवाली बहुत सी चुनौतियों के बावजूद दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, बोत्स्वाना, केमरून, घाना, तंज़ानिया और यूगांडा जैसे देशों ने उन्नत समष्टिगत आर्थिक प्रबंधन एवं जारी रहनेवाली विन्यासगत प्रगति के माध्यम से काफी अधिक उन्नति प्राप्त की है। इसके विपरीत ज़िम्बाब्वे, सीयरा लियोने और कोत दि वुआर जैसे देशों की राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष के साथ बहुधा मिले-जुले अप्रभावी नीति निष्पादन ने वहाँ की निरंतर संवृद्धि एवं गरीबी कम करने के प्रयास को प्रभावित किया है। 2001 में, दक्षिण अफ्रीका ने सकल देशी उत्पाद में 2.2 प्रतिशत की वास्तविक संवृद्धि दर्ज की है जबकि इसकी तुलना

एक्ज़िम बैंक का अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शोध पुरस्कार 2001, डा. शंकर आचार्य, मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय द्वारा, डा. साजिद चिनॉय को प्रदान करना।

भारत के विदेश व्यापार की प्रवृत्तियाँ
(रुपये बिलियन में)

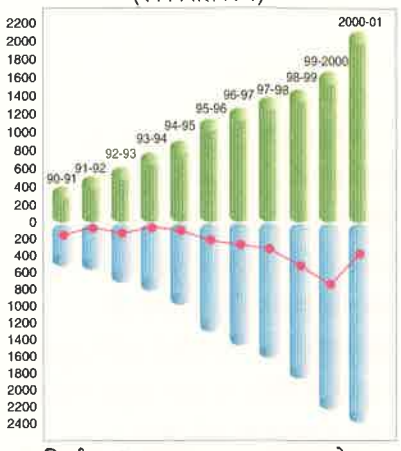

में पिछले वर्ष के दौरान यह संवृद्धि 3.4 प्रतिशत थी तथा ठोस समष्टिगत आर्थिक नीतियों ने इस देश की बाहरी झटकों की सुभेद्यता कम कर दी थी। मोरक्को के सकल देशी उत्पाद ने 2001 में 6.3 प्रतिशत की वास्तविक संवृद्धि दर्ज की है जबकि इसकी तुलना में 2000 में 2.4 प्रतिशत की संवृद्धि दर्ज हुई थी तथा 2001 में दर्ज हुई संवृद्धि, भयंकर सूखे के बाद कार्यकलाप में आया पलटाव दर्शाती है जबकि अल्जीरिया की आर्थिक संवृद्धि 2001 में, 3.5 प्रतिशत के आसपास, अपेक्षाकृत अच्छी तरह अविच्छिन्न बनी रही है। घाना के राजकोषीय और मौद्रिक अनुशासन के विशिष्ट सुधार तथा बढ़ी हुई समष्टिगत आर्थिक स्थिरता ने घाना के वास्तविक सकल देशी उत्पाद की संवृद्धि को 2000 के 3.7 प्रतिशत से बढ़ाकर 2001 में 4.0 प्रतिशत कर दिया है।

मध्य पूर्व का आर्थिक कार्यकलाप तेल-बाज़ारों की हाल ही की गतिविधियों से प्रतिबंधित हो गया है। ईरान के गैर तेल कार्यकलापों की ज़ोरदार संवृद्धि ने पेट्रोलियम उत्पादक देशों के संगठन द्वारा लगाई गई सीमाओं के अवरोधों को अधिकांशत: समंजित कर दिया है और

की है जबकि इसकी तुलना में 2000 में 4.9 प्रतिशत की संवृद्धि हुई थी । साऊदी अरब की संवृद्धि 2001 में पिछले वर्ष के 4.5 प्रतिशत से कम होकर 2.2 प्रतिशत हो गई है । ईजिप्ट के वास्तविक सकल देशी उत्पाद की संवृद्धि 2000 की 5.1 प्रतिशत की संवृद्धि से कम होकर 2001 में 3.3 प्रतिशत हो गई है जिससे ऋण वृद्धि के धीमे पड़ने और सुरक्षा की बढ़ी हुई चिंताओं जिससे पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुआ है, का पता चलता है ।

पश्चिमी गोलार्ध के विकासशील देशों के आर्थिक कार्यकलाप में उस अर्जेंटीना के वित्तीय संकट का वर्चस्व रहा है जिसकी बिगड़ती हुई आर्थिक परिस्थिति और संभावना ने वित्तीय बाज़ार की राजकोषीय संधारणीयता, विनिमय दर तथा वित्तीय व्यवस्थाओं से संबंधित चिंतायें बढ़ा दी हैं । जनवरी 2002 में अर्जेंटीना ने, अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया है जिससे परिवर्तनीयता की एक दशक पुरानी व्यवस्था समाप्त हो गई है । इन प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ-साथ उत्पादन, व्यय करने तथा विश्वास में आयी तेज़ गिरावट के परिणामस्वरूप अर्जेंटीना में वास्तविक सकल देशी उत्पाद ने 2001 में 3.7 प्रतिशत की और अधिक गिरावट दर्ज की है जबकि इसकी तुलना में उसमें 2000 के दौरान 0.8 प्रतिशत की गिरावट आई थी। 2001 में ब्राज़ील की राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा-संकट और अर्जेंटीना के संसर्ग को दर्शाते हुए उसका वास्तविक सकल देशी उत्पाद 2000 की 4.4 प्रतिशत की संवृद्धि से कम होकर 1.5 प्रतिशत हो गया है । मेक्सिको की अर्थव्यवस्था को अमेरिका की गतिविधियों, भूमंडलीय मंदी, तथा अवरुद्ध घरेलू उत्पादन के कारण भारी मंदी सहन करनी पड़ी है । वास्तविक सकल देशी उत्पाद की संवृद्धि पिछले वर्ष के दौरान के 6.6 प्रतिशत से गिरकर 2001 में 0.3 प्रतिशत हो गई है ।

स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल (सी आइ एस) के देशों ने 2001 में 6.2 प्रतिशत की संवृद्धि दर्ज की है जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष 8.3 प्रतिशत की संवृद्धि दर्ज की गई थी। रूस के सकल देशी उत्पाद में 2001 में हुई 5.0 प्रतिशत की संवृद्धि सहित कार्यकलाप की शक्ति ने उक्रेन जैसे इस क्षेत्र के अन्य देशों की सुदृढ़ संवृद्धि में योगदान दिया है । उक्रेन का वास्तविक सकल देशी उत्पाद 2000 के 5.9 प्रतिशत से बढ़कर 2001 में 9.1 प्रतिशत हो गया है । इस क्षेत्र की दीर्घ कालीन संवृद्धि विन्यासगत संवृद्धि प्रक्रिया विशेषकर संस्था निर्माण और अभिशासन, उद्यम-पुनर्विन्यास तथा राज्य की भूमिका के रूपांतरण को पुन:शक्ति प्रदान किये जाने पर निर्भर करेगी।

दक्षिण अमेरिका के एंडिअन क्षेत्र के देशों में भारतीय निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए, श्री मुरासोली मारन, केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की उपस्थिति में, काराकस, वेनेज़ुएला में, कॉर्पोरेसियन एंडीना डी फोमेंटो (सी ए एफ) के एक्जिक्यूटिव प्रेसिडेण्ट, श्री एल. एनरिक गार्सिया के साथ ऋण-व्यवस्था करार पर हस्ताक्षर करना।

विश्व व्यापार

भूमंडलीय आर्थिक कार्यकलाप और अधिकांश क्षेत्रों की माँग की मंदी दर्शाते हुए विश्व व्यापार की मात्रा की संवृद्धि 2000 के 12.8 प्रतिशत से तेज़ी से कम होकर 2001 में 0.7 प्रतिशत हो गई है । विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देशों ने आयात माँग में महत्त्वपूर्ण मंदी दर्ज की है । औद्योगीकृत देशों के मामले में आयात की मात्रा में 2000 के दौरान हुई 11.9 प्रतिशत की संवृद्धि 2001 में गिरकर 2.0 प्रतिशत हो गई है जबकि विकासशील देशों ने आयात की मात्रा में तेज़ गिरावट दर्शायी है और वह 2000 के 16.5 प्रतिशत से कम होकर 2001 में 1.8 प्रतिशत हो गई है।

विकासशील देशों के सभी प्रमुख क्षेत्रों ने आयात-मांग की भारी मंदी दर्ज की है । एशिया के आयातों ने मात्रा के अनुसार 2000 के दौरान के 23.7 प्रतिशत के मुकाबले में 2001 में 3.1 प्रतिशत की तेज़ मंदी दर्ज की है । पश्चिमी गोलार्ध की आयात मांग में भी भारी मंदी आई है और वहाँ के आयातों की मात्रा 2000 की 11.6 प्रतिशत संवृद्धि से कम होकर 2001 में 1.3 प्रतिशत हो गई है । अफ्रीका के मामले में आयातों की मात्रा की संवृद्धि

2001 में 3.9 प्रतिशत पर बनाये रखी गई थी जबकि इसकी तुलना में 2000 के दौरान 4.3 प्रतिशत की संवृद्धि दर्ज की गई थी ।

विकसित अर्थव्यवस्थाओं में आयातों का तेज़ सीमा बंधन प्रमुख देशों में फैला था । संयुक्त राज्य अमेरिका में मात्रा के अनुसार आयात-संवृद्धि ने, 2001 में 2.7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है जबकि इसकी तुलना में 2000 के दौरान 13.4 प्रतिशत की ज़ोरदार संवृद्धि हुई थी । यूरो क्षेत्र की आयात संवृद्धि, मात्रा के अनुसार 2000 के 11.1 प्रतिशत से कम होकर 2001 में 0.7 प्रतिशत हो गई है । 2001 में यू. के. की आयात-मांग 2.8 प्रतिशत, 2000 में 10.9 प्रतिशत के मुकाबले में कम थी । जापान की आयात मांग में पर्याप्त रूप से कमी आई है और इसकी आयात-मात्रा ने 2001 में 0.4 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष के दौरान 9.6 प्रतिशत की संवृद्धि दर्ज हुई थी ।

जहाँ तक निर्यातों का संबंध है अफ्रीका और एशिया के विकासशील देशों ने 2001 के दौरान क्रमश: 2.5 प्रतिशत और 2.1 प्रतिशत की अवमंदित संवृद्धि दर्ज की है जबकि इसकी तुलना में 2000 के दौरान क्रमश: 5.5 प्रतिशत और 22.8 प्रतिशत की संवृद्धि दर्ज की गई थी । पश्चिमी गोलार्ध के विकासशील देशों के मामले में 2001 के दौरान निर्यात-मात्रा ने 3.8 प्रतिशत की संवृद्धि दर्ज की है जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष 11.3 प्रतिशत की संवृद्धि दर्ज की गई थी । विकसित देशों में से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और जापान की निर्यात मात्रा में 2001 के दौरान क्रमश: 4.6 प्रतिशत और 6.5 प्रतिशत की गिरावट आई है जबकि यूरो क्षेत्र की निर्यात-मात्रा में 2001 में, पिछले वर्ष के दौरान दर्ज की गई 12.3 प्रतिशत की संवृद्धि की तुलना में, 2.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है ।

डालर मूल्यों के अनुसार, विश्व के पण्य निर्यातों ने 2001 के दौरान 4.3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है और वे 5985.0 बिलियन अमेरिकी डालर के हुए हैं जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष इनमें 12.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । 2001 के दौरान भूमंडलीय पण्य व्यापार के संकुचन ने विश्व के पण्य मूल्यों में कमी दर्शायी है । विनिर्मित वस्तुओं के मूल्यों ने 2001 में 2.4 प्रतिशत की निरंतर गिरावट दर्ज की है जबकि इसकी तुलना में 2000 के दौरान 5.1 प्रतिशत की अधिक प्रपाती गिरावट आई थी । ईंधनेतर प्राथमिक पण्यों के मूल्यों में भी, 2001 के दौरान 5.5 प्रतिशत की गिरावट आई है जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष के दौरान 1.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । तेल के मामले में भूमंडलीय मूल्यों को, 2001 के दौरान 14.0 प्रतिशत की प्रपाती गिरावट सहनी पड़ी है । जबकि इसके विपरीत पिछले वर्ष के दौरान इनके मूल्यों में 57.0 प्रतिशत की तेज़ वृद्धि हुई थी ।

कोलंबिया में भारतीय निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए श्री ओमर अब्दुल्ला, केन्द्रीय विदेश राज्य मंत्री की उपस्थिति में, बैंको डी कॉमर्सिओ एक्सटीरिअर डी कोलंबिया, एस. ए. (बैंकोल्डेक्स), के लिए डा. (सुश्री) मार्ता लूसिया रमिरेज़ डी रिंकन, विदेश व्यापार मंत्री, कोलंबिया के साथ बोगोटा, कोलंबिया में ऋण-व्यवस्था करार पर हस्ताक्षर करना ।

निजी पूँजी के प्रवाह, चालू खाते की शेष राशियाँ और विदेशी ऋण

2001 में उभरते हुए बाज़ार की अर्थ-व्यवस्थाओं के शुद्ध निजी पूँजी के प्रवाह, पिछले वर्ष के दौरान 173.1 बिलियन अमेरिकी डालर के प्रवाहों से कम होकर 131.9 बिलियन अमेरिकी डालर हो गये हैं । शुद्ध पूँजी प्रवाहों की तेज़ गिरावट का कारण, उसके साथ-साथ हुई भूमंडलीय मंदी तथा अर्जेंटीना और टर्की की गतिविधियों की प्रतिवेशी और बढ़ी हुई अनिश्चितता कहा जा सकता है ।

यूरोप क्षेत्र की उभरती बाज़ार अर्थ-व्यवस्थायें 2001 में पूँजी-प्रवाहों की अधिकाँश गिरावट के लिए उत्तरदायी थीं। इन देशों के निजी पूंजी के शुद्ध प्रवाह 2000 के 40.2 बिलियन अमेरिकी डालर से कम होकर 2001 में 16.7 बिलियन अमेरिकी डालर हो गये हैं । पाँच

भारत के निर्यातों का गठन

(रुपये बिलियन में)

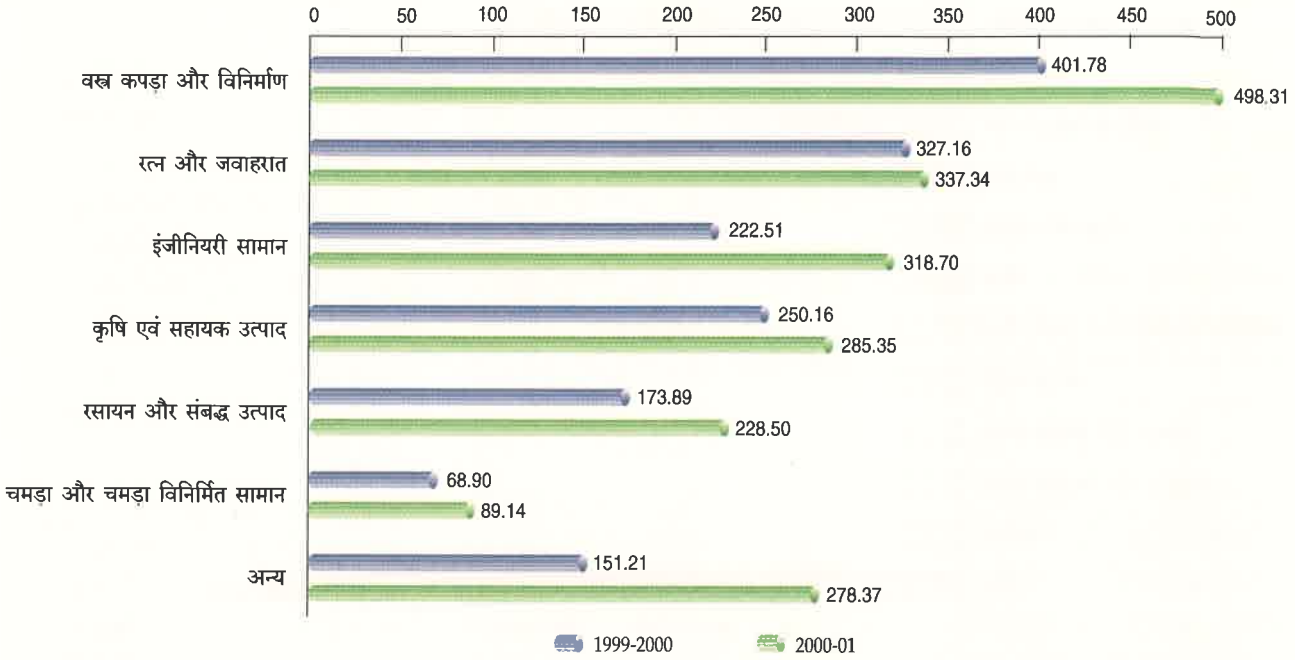

एशियाई देशों नामत: कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाइलैंड और फिलीपीन्स की अर्थव्यवस्थाओं ने 2001 के दौरान 2.7 बिलियन अमेरिकी डालर का शुद्ध अन्तर्प्रवाह दर्ज किया है जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष के दौरान 10.8 बिलियन अमेरिकी डालर का अंतर्प्रवाह हुआ था। लैटिन अमेरिका के निजी पूँजी के शुद्ध प्रवाहों में निरन्तर गिरावट आयी है और वे कम होकर 1999 में 69.1 बिलियन अमेरिकी डालर, 2000 में 57.5 बिलियन अमेरिकी डालर तथा 2001 में और भी कम होकर 45.2 बिलियन अमेरिकी डालर हो गये हैं जब कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र के उभरते हुए बाज़ारों के पूँजी प्रवाह पिछले वर्ष के दौरान के 70.5 बिलियन अमेरिकी डालर से कम होकर 2001 में 60.8 बिलियन अमेरिकी डालर हो गये हैं। इसके विपरीत अफ्रीका और मध्य पूर्व के मामले में, निजी पूँजी के शुद्ध प्रवाह 2000 के 5.0 बिलियन अमेरिकी डालर से बढ़कर 2001 में 9.1 बिलियन अमेरिकी डालर हो गये हैं।

2001 के दौरान, उभरते हुए बाज़ारवाली अर्थव्यवस्थाओं के चालू खाते की मिली जुली शेष राशियों की रकम 26.0 बिलियन अमेरिकी डालर की अधिशेष थी जो पिछले वर्ष के दौरान के 48.6 बिलियन अमेरिकी डालर के अधिशेष में आई कमी दर्शाता है। इसका कारण एशिया और प्रशांत क्षेत्र के चालू खाते के उस अधिशेष की कमी बताया जा सकता है जो 2000 के 65.0 बिलियन अमेरिकी डालर से कम होकर 2001 के दौरान 49.0 बिलियन अमेरिकी डालर हो गया है। इसके अलावा लैटिन अमेरिका के देशों के चालू खाते का घाटा इसी अवधि में 40.3 बिलियन अमेरिकी डालर से बढ़कर 46.6 बिलियन अमेरिकी डालर हो गया है। अफ्रीका और मध्य पूर्व के देशों के चालू खाते के अधिशेष ने पिछले वर्ष के 6.1 बिलियन अमेरिकी डालर के अधिशेष में सीमांत गिरावट दर्ज की है और वह 2001 में 4.9 बिलियन अमेरिकी डालर हो गया है। जबकि यूरोप के उभरते हुए बाज़ारों के चालू खाते का अधिशेष 2000 के 17.8 बिलियन अमेरिकी डालर से बढ़कर 2001 में 18.7 बिलियन अमेरिकी डालर हो गया है।

माल और सेवाओं के निर्यातों के अनुपात में विकासशील देशों के विदेशी ऋण में 2000 के 142.5 प्रतिशत से 2001 में सीमांत रूप से वृद्धि होने से वह बढ़कर 144.5 प्रतिशत हो गया है। पश्चिमी गोलार्ध के विकासशील देशों के विदेशी ऋण का, माल और सेवाओं के निर्यातों से अनुपात विकासशील देशों के बीच 2001 के दौरान 213.0 प्रतिशत पर सबसे अधिक था, इसके बाद अफ्रीका (185.3 प्रतिशत), मध्य पूर्व (154.2 प्रतिशत) और एशिया (96.8 प्रतिशत) के स्थान आते हैं। विकासशील देशों के ऋण-

भारत के आयातों का गठन

(रुपये बिलियन में)

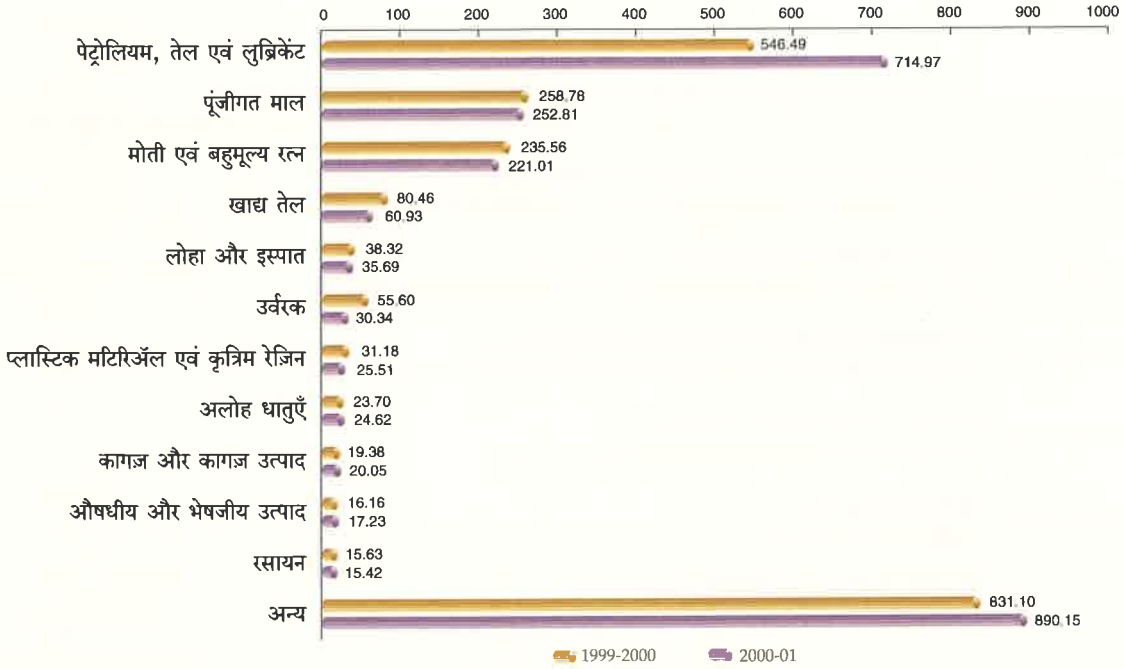

शोधन की अदायगियाँ 2001 में 23.2 प्रतिशत हैं जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष के दौरान वे 22.7 प्रतिशत थीं।

भारतीय अर्थव्यवस्था

यह अनुमान लगाया गया है कि 2001-02* के दौरान भारत के सकल देशी उत्पाद की संवृद्धि 5.4 प्रतिशत होने का अनुमान है जो पिछले वर्ष दर्ज की गई 4.0 प्रतिशत की संवृद्धि से अधिक है। जिस प्रमुख तत्व के फलस्वरूप सकल देशी उत्पाद की अधिक संवृद्धि हुई है वह कृषि और संबंधित क्षेत्रों के मूल्य योजन में हुआ महत्त्वपूर्ण सुधार है।

कृषि और उद्योग

समग्र कृषि उत्पादन के 2001-02 में 5.7 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है जबकि इसकी तुलना में इसमें पिछले वर्ष के दौरान 0.2 प्रतिशत की गिरावट आई थी। यह आशा की जाती है कि खाद्यान्न के उत्पादन में 2001-02 में 209 मिलियन टन की वृद्धि होगी जो पिछले वर्ष के उत्पादन स्तर 196 मिलियन टन से अधिक है।

2001-02 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में 2.7 प्रतिशत की संवृद्धि दर दर्ज की गई है जो पिछले वर्ष की 5.0 प्रतिशत की संवृद्धि दर से कम है। यह समग्र गिरावट, ब्याज की अधिक वास्तविक दरों, बिजली और परिवहन में मूलभूत संरचना के अवरोधों, कंपनी पुनर्विन्यास के अंतराल तथा उपभोक्ता और निवेश दोनों की माँग की कमी के कारण आई थी। विनिर्माण क्षेत्र में 2001-02 के दौरान 2.7 प्रतिशत की संवृद्धि हुई जबकि पिछले साल यह संवृद्धि 5.3 प्रतिशत थी। 2001-02 में विद्युत क्षेत्र में भी केवल 3.1 प्रतिशत की कम गति पर वृद्धि हुई है, जबकि खनन क्षेत्र में वृद्धि की दर केवल 1.8 प्रतिशत रही जो पिछले वर्ष इस अवधि में हुई वृद्धि के मुकाबले और भी खराब है। उपयोग पर आधारित वर्गीकरण के अनुसार 2001-02 के दौरान टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में सबसे अधिक 11.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके बाद क्रमश: अस्थायी उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में (3.8 प्रतिशत), मूल वस्तुओं के क्षेत्र में (2.8 प्रतिशत) और मध्यवर्ती वस्तुओं के क्षेत्र में (1.5 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है। पूँजीगत माल के क्षेत्र में, 2001-02 के दौरान 4.0 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि हुई जबकि 2000-01 के दौरान यह वृद्धि 1.8 प्रतिशत थी।

विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत आनेवाले 17 उप क्षेत्रों में से दो क्षेत्रों में 2001-02 के दौरान 10 प्रतिशत से अधिक की संवृद्धि दर्ज की गई है। ये हैं पेय, तंबाकू एवं

* इस खंड के आंकड़े उस भारतीय राजकोषीय वर्ष के अनुरूप हैं जो अप्रैल से अगले वर्ष के मार्च तक चलता है।

संबद्ध उत्पाद क्षेत्र; और रबर, प्लास्टिक, पेट्रोलियम एवं कोयला उत्पाद जिनमें क्रमश: 12.0 प्रतिशत और 10.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई । पाँच क्षेत्रों अर्थात खाद्य उत्पाद, सूती वस्त्र, जूट और अन्य वेजीटेबल फाइबर वस्त्र (सूती वस्त्रों को छोड़कर), काष्ठ और काष्ठ उत्पाद तथा फर्नीचर एवं फिक्स्चर्स, और धातु उत्पाद और कलपुर्जे (मशीनों और उपकरणों को छोड़कर) के क्षेत्र में इस अवधि में ऋणात्मक वृद्धि हुई है ।

मूलभूत सुविधा

मूलभूत सुविधा क्षेत्र के प्रमुख छह उद्योगों नामत: विद्युत उत्पादन, कोयला, इस्पात, कच्चा तेल, तेल शोधन और सीमेंट - में 2001-02 के दौरान वृद्धि की दर 3.0 प्रतिशत रही जो पिछले साल की 5.3 प्रतिशत की वृद्धि दर से कम थी । 2001-02 के दौरान पिछले साल की तुलना में वृद्धि की दर सीमेंट में, पेट्रोलियम तेल शोधन उत्पादों में, कोयला में, बिजली में, इस्पात में, और कच्चे पेट्रोलियम में क्रमश: 7.4 प्रतिशत, 3.8 प्रतिशत, 4.2 प्रतिशत, 3.1 प्रतिशत, 2.5 प्रतिशत और -1.2 प्रतिशत रही है ।

पूँजी बाज़ार

2001-02 के दौरान म्युचुअल फंडों द्वारा जुटाये गये 71.7 बिलियन रुपये के निवल संसाधन पिछले साल में जुटाये गये 91.2 बिलियन रुपये की अपेक्षा कम हैं । 2001-02 के दौरान 35 निर्गमों के जरिये जुटाये गये संसाधन 75.4 बिलियन रुपये के थे जबकि 2000-01 के दौरान केवल 61.0 बिलियन रुपये के संसाधन जुटाये गये थे। इस प्रकार इनमें 23.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

मुद्रास्फीति

मार्च 2001 के अंत में, थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति की दर 4.9 प्रतिशत वार्षिक बिन्दुवार थी । जो मार्च, 2002 की समाप्ति पर घटकर 1.4 प्रतिशत रह गई है ।

मुद्रा-आपूर्ति (एम3) में वृद्धि की वर्षवार दर 2001-02 के दौरान 14.0 प्रतिशत थी जो पिछले वर्ष की दर्ज़ की गई वृद्धि दर 16.8 प्रतिशत से कम रही ।

विदेश व्यापार और भुगतान संतुलन

2001-02 के दौरान पण्य निर्यातों में अमेरिकी डालर के हिसाब से मामूली अर्थात् 0.08 प्रतिशत की गिरावट आयी है । समग्र दृष्टि से 2001-02 के दौरान 43.99 बिलियन अमेरिकी डालर के निर्यात किये गये जब कि 2000-01 के दौरान निर्यात 44.03 बिलियन अमेरिकी डालर के थे । वर्ष 2001-02 में 7.8 बिलियन अमेरिकी डालर के सॉफ्टवेयर सेवाओं के किये गये निर्यात जिनकी वृद्धि 25.8 प्रतिशत दर्ज़ की गई थी तथा जो वर्ष 2000-01 में 6.2 बिलियन अमेरिकी डालर से बढ़कर हैं, इसमें शामिल नहीं है । वर्ष 2000-01 के दौरान सॉफ्टवेयर निर्यातों में 55 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । निर्यातों में ठहराव का मुख्य कारण था कमज़ोर विश्व अर्थव्यवस्था तथा घरेलू अर्थव्यवस्था में मंदी । अप्रैल-जनवरी 2001-02 के दौरान निर्यात संबंधी जिन उत्पादों की वृद्धि दर अधिक थी उनमें पेट्रोलियम उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएँ, क्वॉयर व संबद्ध उत्पाद, सिल्क कार्पेट, अलौह धातुएँ, कोयला, अवशिष्ट इंजीनियरी सामान, संसाधित खाद्य पदार्थ, गेहूँ, चीनी तथा सीरा शामिल हैं ।

2001-02 के दौरान आयातों में भी (अमेरिकी डालर की दृष्टि से) 1.08 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । समग्र दृष्टि से वर्ष 2001-02 के दौरान आयातों में वृद्धि हुई है और वे 50.65 बिलियन अमेरिकी डालर के हो गये जबकि गत वर्ष में ये 50.11 बिलियन अमेरिकी डालर के थे । आयात के क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि गैर-तेल वस्तुओं के आयात में हुई इसका तात्पर्य यह हुआ कि इसकी घरेलू माँग बढ़ी । गैर-तेल वस्तुओं का आयात 2001-02 के दौरान 7.36 प्रतिशत की दर से बढ़कर 36.99 बिलियन अमेरिकी डालर का हो गया । पेट्रोलियम, ऑयल और लुब्रिकेंट्स का आयात समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 13.67 बिलियन अमेरिकी

भारतीय निर्यातों को मध्यवर्ती अमेरिकी देशों में बढ़ावा देने के लिए सेन्ट्रल अमेरिकन बैंक फॉर ईकोनोमिक इंटिग्रेशन के साथ मेक्सिको शहर, मेक्सिको में ऋण-व्यवस्था पर हस्ताक्षर करना ।

डालर का था जो पिछले साल के 12.73 प्रतिशत से कम था परन्तु ऐसा कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय मूल्य में कमी के कारण हुआ। अप्रैल-जनवरी 2001-02 के दौरान जिन आयात मदों के मामले में उच्च वृद्धि दर रही, उनमें दालें, रॉ काटन, धातु लोह अयस्क और धातु-उच्छिष्ट, सोना और चाँदी, बिजली की मशीनें, काष्ठ और काष्ठ के उत्पाद, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, व्यवसायिक उपकरण, अलोह-धातुएँ, न्यूज़प्रिंट और कृत्रिम रेज़िन शामिल हैं। जिन मदों में गिरावट आयी उनमें, उर्वरक, मोती, अमूल्य एवं अर्ध अमूल्य रत्न, काजू, फल और गिरीदार फल, मशीनी औज़ार तथा परियोजना वस्तुएँ शामिल हैं। 2001-02 के दौरान व्यापार-घाटा बढ़कर 6.66 बिलियन अमेरिकी डालर हो गया था, जबकि पिछले साल की उसी अवधि में यह 6.08 बिलियन अमेरिकी डालर था।

भारत के विदेश-व्यापार की दिशा

(रुपये बिलियन में)

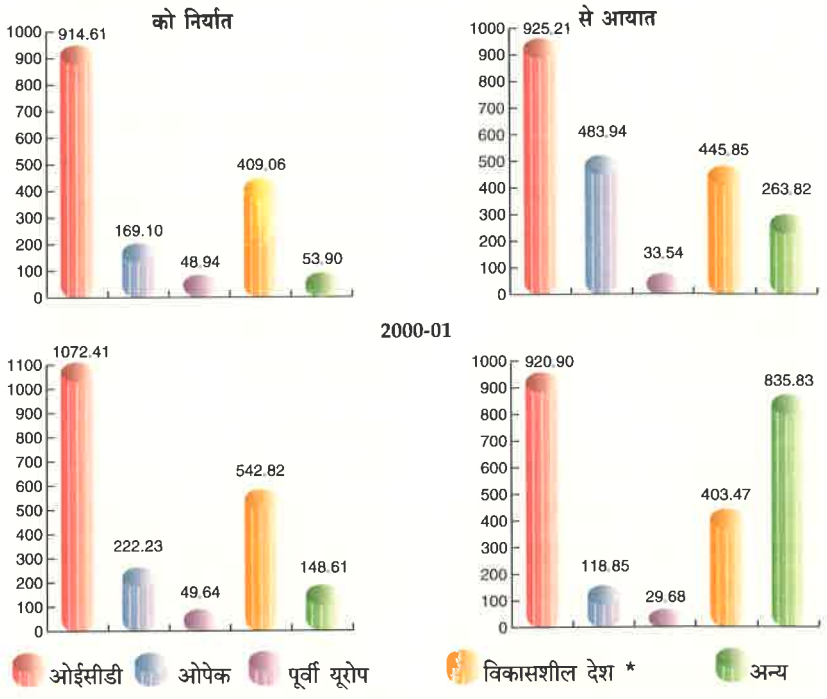

* ओपेक के सदस्यों को छोड़कर

अप्रैल-दिसम्बर 2001 के दौरान 8.76 बिलियन अमेरिकी डालर मूल्य की अदृश्य वस्तुओं का आयात हुआ जो पिछले वर्ष की उसी अवधि की तुलना में 1.1 प्रतिशत कम था। अनुमान है कि 2001-02 के दौरान चालू खाते में घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 1 प्रतिशत से कम रहेगा।

अप्रैल-फरवरी 2001-02 के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का आगम 3.09 बिलियन अमेरिकी डालर था जो पिछले साल की उसी अवधि के 2.18 बिलियन अमेरिकी डालर से अधिक था। अप्रैल-फरवरी 2001-02 के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किया गया शुद्ध निवेश 1.23 बिलियन अमेरिकी डालर था। मार्च 2002 के अंत में विदेशी मुद्रा का सुरक्षित भंडार 54.15 बिलियन अमेरिकी डालर तक पहुँच गया था जो 12.8 माह के अनुमानित आयात के लिए पर्याप्त था।

भारत का कुल विदेशी ऋण मार्च 2000 के अंत में 98.3 बिलियन अमेरिकी डालर था जो मार्च 2001 के अंत में बढ़कर 99.6 बिलियन अमेरिकी डालर तथा बाद में सितंबर 2001 के अंत में बढ़कर 100.4 बिलियन अमेरिकी डालर तक पहुँच गया। सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में विदेशी कर्ज़ के अनुपात और कुल विदेशी कर्ज़ की तुलना में अल्पावधिक ऋणों के अनुपात में भी अनवरत सुधार परिलक्षित हुआ है। सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में विदेशी कर्ज़ के अनुपात में मामूली वृद्धि हुई और यह मार्च 2001 के अंत में 22.3 प्रतिशत था जो घटकर सितंबर 2001 के अंत में 21.0 प्रतिशत हो गया। कुल कर्ज़ में अल्पावधिक ऋण का अनुपात, मार्च 2000 के अंत में 4.0 प्रतिशत था जो घटकर मार्च 2001 के अंत में 3.5 प्रतिशत रह गया तथा बाद में पुन: घटकर सितंबर 2001 के अंत में 2.8 प्रतिशत रह गया।

नीतिगत परिवेश

कृषि क्षेत्र की भूमिका में महत्त्वपूर्ण एवं पर्याप्त वृद्धि की दृष्टि से, विभिन्न कृषि संबंधी उपकरणों से संबंधित लघु-उद्योग आरक्षणों को समाप्त करने जैसी नीतियाँ, कृषि संबंधी वस्तुओं के निर्यात का विकेन्द्रीकरण, निर्यात के संबंध में बचे हुए नियंत्रणों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना, और कृषि संबंधी सभी वस्तुओं कों शामिल करने के लिए भावी सौदों और वायदा व्यापार का विस्तार आरंभ किया गया।

अनिवासी भारतीयों के लिए जमा योजनाओं की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू

की गई हैं । अनिवासी भारतीय इस बात के लिए स्वतंत्र होंगे कि वे भारत में अर्जित वर्तमान आय को विदेशी मुद्रा में प्रत्यावर्तित कर सकें । भारतीय कंपनियाँ अब स्वत: प्रवर्तित योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष विदेशों में 100 मिलियन अमेरिकी डालर तक की राशि का निवेश कर सकती हैं जबकि इस समय वे केवल 50 मिलियन अमेरिकी डालर तक की राशि का ही निवेश कर सकती थीं । भारतीय कंपनियाँ विदेश स्थित संयुक्त उद्यमों में, पूर्व अनुमति के बिना ही, बाज़ार-क्रय के जरिये अपनी निवल संपत्ति के 50 प्रतिशत के बराबर राशि का निवेश कर सकती हैं । भारतीय म्युचुअल फंडों को इस बात की अनुमति दी गई है कि वे वर्तमान सीमाओं के अंतर्गत, पूर्ण मुद्रा-परिवर्तनीयता की नीति अपनानेवाले देशों में मूल्य निर्धारित प्रतिभूतियों में निवेश कर सकें ।

प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात को मई 2001 में 8.0 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत तथा दिसंबर 2001 में पुन: घटाकर 5.5 प्रतिशत कर दिया गया था । बैंक दर, अक्तूबर 2001 में, 7.0 प्रतिशत से 0.5 प्रतिशत घटाकर 6.5 प्रतिशत कर दी गई है ।

सीमा शुल्क की केवल दो मूल दरें नामत: 10 प्रतिशत जिसमें कच्चा माल, मध्यवर्ती वस्तुएँ और घटक शामिल हैं तथा 20 प्रतिशत जिसमें 2004-05 तक अंतिम उत्पाद शामिल हैं, हों, इस उद्देश्य के अनुरूप सीमा शुल्क की अधिकतम दर को 35 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है । निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बाज़ार प्रवेश पहल योजना लागू की गई है । इस योजना का उद्देश्य उद्योग की सहभागिता के माध्यम से "देश-विशिष्ट उत्पाद पर फ़ोकस" के आधार पर अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कुछ गिने-चुने भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देना है ।

सरकार द्वारा मार्च 2002 में निर्यात-आयात नीति 2002-07 की घोषणा की गई है जिसमें एक विस्तृत पैकेज दिया गया है, जिसका उद्देश्य भारत के निर्यातों पर भारी बल देना है (पृष्ठ 13 पर चौखटे में दी गईं मदें) ।

बैंक के प्रकाशन "बिज़नेस प्रेक्टिसिज़ ऑफ सक्सेसफुल इंडियन एक्सपोर्टर्स" का विमोचन ।

मध्यावधिक निर्यात रणनीति

सरकार ने जनवरी 2002 में मध्यावधिक निर्यात रणनीति घोषित की । इस रणनीति में वर्तमान वैश्विक स्थिति का ध्यान रखा गया है तथा आगामी पाँच वर्षों में निर्यात में पर्याप्त वृद्धि के लिए अपेक्षित नीतिगत उपायों की चर्चा की गई है । मध्यावधिक निर्यात रणनीति का लक्ष्य आगामी पाँच वर्षों में विश्व के निर्यातों में भारत के हिस्से को 1 प्रतिशत तक ले जाना है जिसका तात्पर्य, दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002-07 में (डालर के हिसाब से) 11.9 प्रतिशत की संयोजित वृद्धि दर प्राप्त करना है ।

निर्यात को बढ़ावा देनेवाले व्यापार रक्षा तंत्र मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता को अनुरक्षित करना, विश्व व्यापार संगठन की संगत रियायतों का प्रावधान, निर्यातोन्मुख उद्योगों को उच्चतर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का आकर्षण, कर रियायत को पारदर्शी एवं व्यापक बनने के लिए व्यापक "वैट" प्रणाली, संव्यवहार लागत में और कटौती, निर्यात की संरचनात्मक सुविधा का उन्नयन, रणनीतिक व्यापार करार, श्रम नीति में लचीलापन, निर्यात ऋण में वृद्धि, व्यापार के मोल-तोल में राज्यों की सक्रियता, लघु उद्योग के क्षेत्र में निर्यात उद्योग का सुदृढ़ीकरण, प्रोत्साहन पैकेज को अधिक आकर्षक बनाकर विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन को और बढ़ावा देना, बाज़ार विकास कार्यक्रम एवं सूचना प्रसार, क्षेत्रीय फ़ोकस का विस्तार तथा सेवा निर्यात में प्रणोद, मध्यम अवधि के निर्यात रणनीति के मुख्य नीति निर्देश हैं । रणनीति के अधीन क्षेत्र विशिष्ट निर्यात संवर्धन रणनीतियों का भी उल्लेख किया गया है ।

भारत : द्रुतगामी उन्नति

(2001-02 में प्रमुख नीतिगत परिवर्तन)

ऋण नीति

- ऋणों की सभी श्रेणियों के संबंध में, प्रमुख ऋण दर संबद्ध सीमा दरों के रूप में, विशिष्ट दरों के विरुद्ध निर्यात ऋण पर ब्याज दरों के उल्लेख के जरिये निर्यात ऋण की ब्याज दरों का युक्तीकरण ।
- मई 2001 से आरक्षित नकदी निधि अनुपात को 8.00 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया गया था तथा दिसंबर 2001 से इसे पुन: घटाते हुए 5.5 प्रतिशत कर दिया गया है ।
- बैंक दर, अक्तूबर 2001 में, 7.0 प्रतिशत से, 0.5 प्रतिशत घटाकर, 6.5 प्रतिशत कर दी गई है।

निवेश नीति

- भारतीय कंपनियाँ स्वचालित मार्ग के माध्यम से वार्षिक आधार पर, वर्तमान 50 मिलियन अमेरिकी डालर की तुलना में अब 100 मिलियन अमेरिकी डालर तक निवेश कर सकती हैं ।
- भारतीय कंपनियाँ अपनी निवल संपत्ति का 50 प्रतिशत बिना पूर्व अनुमोदन के विदेश में बाज़ार खरीदों द्वारा समुद्रपारीय संयुक्त उद्यमों में पारदेशीय निवेश कर सकती हैं ।
- भारतीय म्युचुअल फंडों को पूर्ण परिवर्तनीय मुद्रा वाले देशों में मौजूदा सीमाओं के भीतर निर्धारित प्रतिभूतियों में निवेश की अनुमति दी गई है ।

व्यापार नीति

- सीमा शुल्क की अधिकतम दर को 35 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत किया गया है ।
- निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए बाज़ार प्रवेश पहल योजना शुरू की गई है।
- चयनित उत्पादों के उच्च मूल्य निर्यातों के लिए विशेष वित्तीय पैकेज की शुरुआत - औषधीय, कृषि-रसायनों, परिवहन उपकरण, सीमेंट, लोहा एवं इस्पात, बिजली की मशीनें, चमड़ा एवं चमड़े की वस्तुएं तथा वस्त्र जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में हैं तथा अत्याधिक मूल्य संवर्धनवाली हैं । इस पैकेज के अंतर्गत निर्यातक 365 दिनों तक की विस्तारित अवधि के लिए रियायती ब्याज दर प्राप्त करते हैं ।
- कृषि माल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए गेहूँ, गेहूँ-उत्पाद, अपरिष्कृत अनाज, मक्खन एवं गैर-बासमती चावल एवं दालों के निर्यात पर से पैकेजिंग प्रतिबंध हटा लिये गये हैं।
- मध्य अवधि निर्यात रणनीति 2002-2007 घोषित की गई है ।

विदेशी मुद्रा नीति

- अनिवासी भारतीयों के लिए जमा योजनाओं की पूर्ण परिवर्तनीयता शुरू की गयी है ।
- अनिवासी भारतीयों को यह अनुमति दी गई है कि वे भारत में अर्जित अपनी आय को विदेशी मुद्रा में प्रत्यावर्तित कर सकें ।

एक्ज़िम नीति 2002-07 की प्रमुख विशेषतायें

सरकार द्वारा 31 मार्च 2002 को निर्यात-आयात (एक्ज़िम) नीति 2002-07 की घोषणा की गयी । एक्ज़िम नीति 2002-07, 1 अप्रैल 2002 से प्रभावी होते हुए 31 मार्च 2007 तक लागू रहेगी और दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) के साथ समाप्त हो जायेगी । एक्ज़िम नीति 2002-2007 की प्रमुख विशेषताएँ नीचे दी गई हैं :

विशेष आर्थिक क्षेत्र

- अपतटीय बैंकिंग इकाइयों को विशेष आर्थिक क्षेत्र में अनुमति दी जायेगी ।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र में आनेवाली इकाइयों को पण्य कीमत जोखिम से बचाव की अनुमति होगी बशर्ते इकाई द्वारा ऐसे लेन-देन, अपने स्वयं के आधार पर किये गये हों ।
- यह भी निर्णय किया गया कि बाह्य वाणिज्यिक उधारों को विशेष आर्थिक क्षेत्र में तीन वर्ष से कम अवधि के लिए अनुमति दी जाए ।

कृषि

- जूट और प्याज़ को छोड़कर सभी किस्म के कृषि योग्य बीजों (जंगली के अतिरिक्त) के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया गया है ।
- कृषि विविधीकरण संवर्धन के उद्देश्य से फलों, सब्जियों, पुष्प उत्पादों, मुर्गी पालन और दुग्ध उत्पादों के निर्यात पर परिवहन सहायकी उपलब्ध रहेगी।
- कृषि और कृषि आधारित उत्पादों के संवर्धन हेतु 20 कृषि निर्यात क्षेत्र विनिर्दिष्ट किये गये हैं ।

कुटीर और हथकरघा क्षेत्र

- निर्यात संवर्धन पूँजीगत वस्तु (ई पी जी सी) योजना के अधीन; निर्यात बाध्यताओं के परिकलन के समय इन इकाइयों के लिए निर्यात का औसत स्तर बनाये रखना आवश्यक नहीं होगा ।
- खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अधीन आनेवाले कुटीर क्षेत्र संबंधी निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए बाज़ार प्रवेश पहल के अधीन 50 मिलियन रुपयों की राशि निर्धारित की गई है ।
- हथकरघा क्षेत्र की इकाइयाँ भी अपने उत्पादों के वास्तविक प्रदर्शन के लिए वेबसाइट विकसित करने के प्रयोजन से बाज़ार प्रवेश पहल के अधीन निधि हेतु संपर्क कर सकती हैं ।

निर्यात उत्कृष्टता के शहर

आर्थिक और निर्यात उत्कृष्टता की दृष्टि से केन्द्रों जैसे कि होज़िअरि के लिए तिरुपुर, ऊनी कंबलों के लिए पानीपत, ऊनी बुनाई वस्त्र के लिए लुधियाना को और अधिक प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से लघु उद्योग क्षेत्रों को निम्नलिखित सुविधाएँ उपलब्ध करायी गयी हैं :

- केन्द्रीय सहायता से राज्यों के लिए चलायी जानेवाली योजना के अधीन निर्दिष्ट बुनियादी आवश्यकताओं की पूरक सहायता के लिए उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी ।
- एक्सपोर्ट हाऊस स्टेटस केवल 50 मिलियन रुपये पर सुपात्र जब कि दूसरों के लिए यह स्टेटस 150 मिलियन रुपये पर होता है ।

वस्त्र

- ट्रीमिंग और एम्बेलिशमेंट्स के लिए 3 प्रतिशत की सीमा के अन्दर शुल्क रहित फैब्रिक की अनुमति दी गयी ।
- सभी प्रकार के ब्लेंडेड फैब्रिक्स के लिए ड्यूटी एन्टाइटलमेंट पासबुक दरें अनुमत की गयीं । ऐसे ब्लेंडेड फैब्रिक्स के लिए न्यूनतम दर लागू की गयी जो कि अन्य विभिन्न घटक-फैब्रिकों के लिए लागू थी ।

रत्न और आभूषण

- अपरिष्कृत हीरों पर सीमा शुल्क घटाकर शून्य प्रतिशत कर दिया गया है। अपरिष्कृत हीरे के लिए लाइसेंसी प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है।
- सादे आभूषणों के निर्यात के लिए मूल्य योजन मानदंड 10 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया। सभी प्रकार के मेकेनाइज्ड अनस्टडिड आभूषणों के निर्यात की अनुमति मात्र 3 प्रतिशत के मूल्य योजन पर दी गयी।

इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेअर

- इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेअर टेक्नालॉजी पार्क योजना संशोधित की जा रही है ताकि यह क्षेत्र, सूचना प्रौद्योगिकी समझौता -1 के अधीन ज़ीरो ड्यूटी व्यवस्था का मुकाबला कर सके।

रसायन और औषधियाँ

- दवाइयों के पंजीकरण शुल्क पर 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति मिलेगी।
- बिना किसी सीमा के निर्यात नमूने नि:शुल्क।

प्रतिष्ठित हैसियत के लोगों के लिए विशेष पैकेज

- स्व-घोषणा के आधार पर आयात और निर्यात दोनों के लिए लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति और सीमा शुल्क निकासियाँ।
- बैंक के जरिए दस्तावेज़ों के अनिवार्य समझौता-वार्ता से छूट तथापि, प्रेषण, बैंकिंग चैनलों से ही प्राप्त होता रहेगा।
- ई ई एफ सी खाते में 100 प्रतिशत विदेशी मुद्रा रखे रहने की अनुमति।
- सामान्य प्रत्यावर्तन अवधि को 180 दिनों से बढ़ाकर 360 दिन कर दिया गया।

बाज़ारों का विविधीकरण

- विदेश जानेवाले भारतीय निर्यातकों/व्यवसायियों के लिए विदेश स्थित भारतीय मिशन में "व्यवसायिक केन्द्र" की स्थापना।
- "फ़ोकस अफ्रीका" कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। फ़ोकस अफ्रीका कार्यक्रम के प्रथम चरण में 7 देशों का समावेश है नामत: नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, केन्या, इथियोपिया, तंज़ानिया और घाना। इन बाज़ारों को निर्यात करनेवाले निर्यातकों को 50 मिलियन रुपयों तक के निर्यात को, एक्सपोर्ट हाऊस का दर्जा दिया जायेगा।
- सी आइ एस देशों से संबंधों को पुन:स्थापित करना है। प्रथम चरण में कज़ाकिस्तान, क्रिघिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उक्रेन और अज़रबैजान देशों के साथ संबंधों पर विशेष ध्यान देना है।

उद्योगों का पुन:स्थान निर्धारण

- भारत में उद्योगों के पुन:स्थान निर्धारण को प्रोत्साहित करने के लिए संयंत्रों और मशीनों को बिना लाइसेंस आयात करने की वहाँ अनुमति रहेगी जहाँ ऐसे पुन: निर्धारित संयंत्र की मूल्यह्रास कीमत 500 मिलियन रुपये से अधिक होगी।

लेन-देन समय और लागत में कटौती

- डी जी एफ टी, सीमा शुल्क और डी जी सी आइ एंड एस द्वारा आयात के लिए 8-डिजिट की एक नयी वस्तु वर्गीकरण प्रणाली शुरू की जा रही है ताकि वर्गीकरण समस्याओं को दूर किया जा सके और इस तरह से लेन-देन लागत और समय में कमी आयेगी।
- डी जी एफ टी के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में उसी दिन लाइसेंसिंग प्रणाली लागू की गयी है।
- विभिन्न योजनाओं के अधीन इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों के लिए अधिकतम शुल्क सीमा में 0.15 मिलियन रुपये से 0.10 मिलियन रुपये तक की कटौती।

निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशकों को, 31 मार्च 2002 को समाप्त वर्ष का लेखा परीक्षित तुलन-पत्र तथा लेखों के साथ, इस बैंक द्वारा निष्पादित कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है ।

परिचालनों की समीक्षा

2001-02 (अप्रैल-मार्च) के दौरान, बैंक ने अपने विभिन्न ऋणदात्री कार्यक्रमों के अधीन 42.41 बिलियन रुपये की राशि मंजूर की है जो 2000-01 (अप्रैल-मार्च) में, मंजूर की गई 21.74 बिलियन रुपये की राशि के मुकाबले 95.1 प्रतिशत की संवृद्धि को दर्शाती है । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 34.53 बिलियन रुपये के संवितरण किये गये थे जो 2000-01 में 18.96 बिलियन रुपये के मुकाबले में थे, इस प्रकार ये गत वर्ष की तुलना में 82.1 प्रतिशत की संवृद्धि को दर्शाते हैं । 31 मार्च 2002 को बकाया ऋण-राशियाँ 66.10 बिलियन रुपये थीं । इनमें गत वर्ष के मुकाबले 17.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है । समीक्षा वर्ष के दौरान बैंक ने कुल 5.45 बिलियन रुपये की गारंटियाँ मंजूर की हैं जो 2000-01 में मंजूर की गई 2.12 बिलियन रुपये की गारंटियों के मुकाबले में हैं । जारी की गई गारंटियाँ 4.16 बिलियन रुपये की थीं जो 2000-01 में जारी की गई 1.74 बिलियन रुपये की गारंटियों के मुकाबले में हैं । 31 मार्च 2002 को बकाया गारंटियाँ 11.27 बिलियन रुपये की थीं जो 31 मार्च 2001 को 10.74 बिलियन रुपये की बकाया गारंटियों के मुकाबले में हैं ।

रुपया ऋण और अग्रिम राशियाँ 31 मार्च 2002 को बकाया कुल ऋण और अग्रिमों का 73.2 प्रतिशत बनता है तथा 26.8 प्रतिशत की शेष राशि, विदेशी मुद्रा के ऋण थे । अल्पाधि-ऋण, ऋणों और अग्रिमों की कुल राशि के 10.8 प्रतिशत थे ।

बैंक ने 2001-02 के दौरान, सामान्य निधि लेखे में 2.21 बिलियन रुपये का कर पूर्व लाभ दर्ज किया है जो वर्ष 2000-01 में 2.05 बिलियन रुपये के लाभ के मुकाबले में है । 500 मिलियन रुपये के आय कर का प्रावधान करने के बाद 2001-02 के दौरान करोत्तर लाभ की राशि 1.71 बिलियन रुपये होती है । जो कि 2000-01 में 1.54 बिलियन रुपये के मुकाबले में है । इसमें 11.0 प्रतिशत की संवृद्धि दर्ज की गयी है । इस लाभ में से 420 मिलियन रुपये, भारत सरकार को लाभांश के रूप में अदा किये जायेंगे ।

निदेशक मंडल की बैठक ।

522.8 मिलियन रुपये की राशि आरक्षित निधि में अंतरित कर दी गई है । इसके अतिरिक्त बैंक ने निवेश घट-बढ़ आरक्षित निधि लेखे में 150.0 मिलियन रुपये, ऋण शोधन निधि (ऋण-व्यवस्थाओं) में 38.8 मिलियन रुपये तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि में 580.0 मिलियन रुपये अंतरित किये हैं । वर्ष 2001-02 के दौरान, निर्यात विकास निधि का कर पूर्व लाभ 25.5 मिलियन रुपये है जबकि इसके मुकाबले वह 2000-01 में 24.9 मिलियन रुपये था। 9.1 मिलियन रुपये के कर का प्रावधान करने के पश्चात करोत्तर लाभ की राशि 16.4 मिलियन रुपये होती है जो कि 2000-01 के दौरान 15.0 मिलियन रुपये के मुकाबले में है । 16.4 मिलियन रुपये का लाभ अगले वर्ष के लिए आगे ले जाया गया है ।

व्यवसाय परिचालन

बैंक के व्यवसाय परिचालनों की समीक्षा निम्नलिखित शीर्षों के अधीन प्रस्तुत की गई है ।

I. परियोजनाओं, उत्पादों और सेवाओं के निर्यात
II. निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता का सृजन
III. नयी पहलें
IV. वित्तीय निष्पादन
V. सूचना और सलाहकारी सेवाएँ
VI. संवर्धनात्मक कार्यक्रम
VII. सूचना प्रौद्योगिकी
VIII. शोध एवं विश्लेषण
IX. मानव संसाधन प्रबंधन
X. राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में प्रगति
XI. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व

I. परियोजनाओं, उत्पादों और सेवाओं के निर्यात

निर्यात संविदाएं

वर्ष के दौरान 41.62 बिलियन रुपये की उनसठ संविदाएँ, एक्जिम बैंक की सहायता से चौंतीस भारतीय निर्यातकों ने छब्बीस देशों के लिए प्राप्त कीं, जबकि पिछले वर्ष के दौरान इक्कीस भारतीय निर्यातकों द्वारा तेईस देशों से अड़तीस संविदाएँ प्राप्त की गयीं थीं जो 18.33 बिलियन रुपये मूल्य की थीं। एक्जिम बैंक/कार्यकारी दल* इस प्रकार की निर्यात संविदाओं को स्वीकृति प्रदान करता है। इस वर्ष के दौरान प्राप्त की गयीं संविदाओं में 30.51 बिलियन रुपये की सत्ताईस टर्नकी संविदाएँ, 7.03 बिलियन रुपये मूल्य की उन्नीस आपूर्ति संविदाएँ, 2.74 बिलियन रुपये मूल्य की ग्यारह सेवा संविदाएँ और 1.34 बिलियन रुपये मूल्य की दो निर्माण संविदाएं शामिल थीं। पिछले पाँच वर्षों में एक्जिम बैंक की सहायता से भारतीय कंपनियों ने जिन नये बाज़ारों में पहली बार निर्यात संविदाएं प्राप्त कीं, उनमें अल्जीरिया, आस्ट्रेलिया, फ्रांस, नीदरलैंड और यूगांडा शामिल हैं।

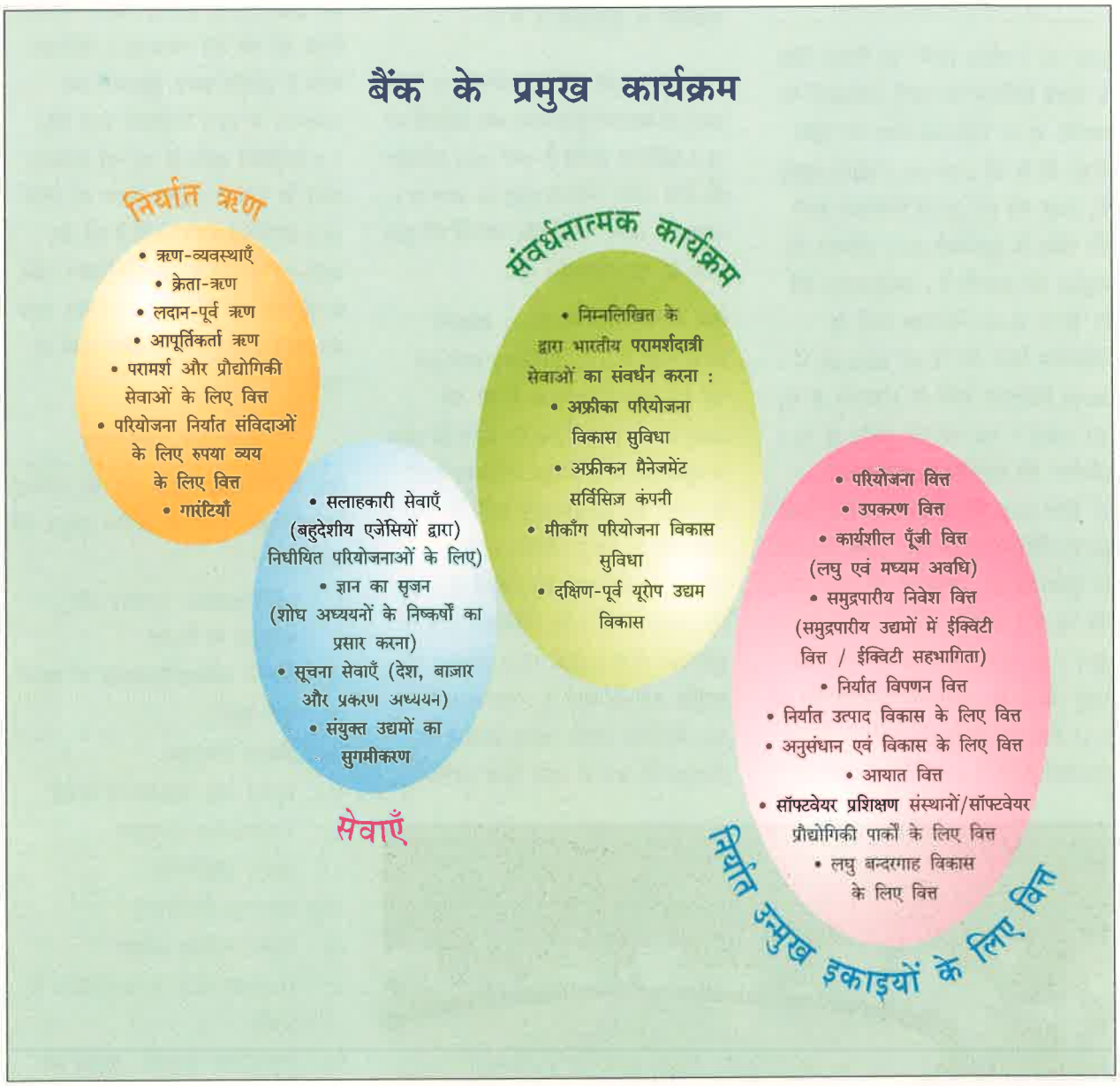

* कार्यकारी दल एक ऐसा अंतर सांस्थानिक तंत्र है जिसमें एक्जिम बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड, भारत सरकार और वाणिज्य बैंक शामिल हैं। यह दल एक्जिम बैंक के तत्त्वावधान में कार्य करता है।

इस वर्ष प्राप्त की गयीं कुछ बड़ी टर्नकी संविदाओं में नीदरलैंड में तेल परिष्करण-शाला को अलग करनेवाली परियोजनाएँ, ओमान और अल्जीरिया में संचार लाइन परियोजना, इराक और आस्ट्रेलिया में पॉवर परियोजनाओं के लिए गैस टर्बाइन जैनरेटरों की आपूर्ति और स्थापना के लिए, क़तार में वायु सेना की एक आधार परियोजना के लिए बिजली-यांत्रिकी कार्य के लिए, फ्रांस में क्वीन मेरी शिप के लिए हीटिंग वेन्टीलेशन और एअर-कंडीशनिंग कार्य के लिए और साऊदी अरब के लिए टेलीकॉम नेट वर्क परियोजना के लिए संविदाएं शामिल हैं।

इस वर्ष के दौरान प्राप्त निर्माण संविदाओं में बांग्लादेश में सड़क पुनर्निर्माण और रेल उड़ान पुल परियोजनाएँ तथा संयुक्त अरब अमीरात में इस्पात के जल भण्डारण टैंकों का निर्माण और परिवहन परियोजनाएँ शामिल हैं।

वर्ष के दौरान प्राप्त की गयी बड़ी आपूर्ति संविदाएं - जर्मनी को कोटेड स्टील पाइपों, ईरान को लोह-क्रोम विनिर्माण के उपकरणों, ज़ांबिया को सिंचाई के पम्प सैटों, अमेरिका को स्टेनलैस स्टील के स्लैबों, इराक को एल पी जी सिलेंडरों, नाइजीरिया को वेल्डिड स्टील की पाइपों और केन्या को धातु की वर्किंग मशीनों का निर्यात है।

वर्ष के दौरान प्राप्त तकनीकी परामर्शी और सेवा संविदाओं में, साऊदी अरब में सीमेंट के संयंत्र का परिचालन और रखरखाव, कुवैत में पेट्रोलियम शोधन संयंत्र का आधुनिकीकरण, ईरान में एक पेट्रोरसायन कंपनी के प्रबंधन की संविदा, बांग्लादेश में सड़क सुधार एवं रखरखाव तथा यूगांडा स्थित एक क्षेत्रीय विकास बैंक के निजीकरण के लिए अध्ययन करना शामिल हैं।

निर्यात ऋण और गारंटियाँ

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान एक्ज़िम बैंक ने आपूर्तिकर्ता ऋण, ऋण-व्यवस्था तथा परियोजना निर्यातों के लिए वित्त सुलभ कराकर कुल 9.41 बिलियन रुपये के निर्यात ऋण स्वीकृत किये। निर्यात ऋणों पर नये सिरे से अधिक ध्यान केन्द्रित करते हुए 4.01 बिलियन रुपये के निर्यात ऋण राशियों का संवितरण किया गया। बैंक द्वारा की गयीं पहलों का परिणाम यह हुआ कि इस वर्ष की स्वीकृतियाँ और संवितरण पिछले वर्ष के मुकाबले तीन गुना हो गये।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारतीय कंपनियों द्वारा मूल्य की दृष्टि से, एक्ज़िम बैंक की सहायता से प्राप्त अब तक की सबसे अधिक मूल्य की संविदाएँ यह दर्शाती हैं कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान 2.12 बिलियन रुपये की स्वीकृत गारंटियों की तुलना में इस वर्ष 5.43 बिलियन रुपये की अधिक गारंटियाँ स्वीकृत की गयीं और पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 1.74 बिलियन रुपये की गारंटियाँ जारी करने की तुलना में इस वर्ष 4.15 बिलियन रुपये की गारंटियाँ जारी की गयीं। ये गारंटियां दूर संचार, बिजली उत्पादन, पारगमन और संवितरण, तेल की निकासी, सीमेंट, पेट्रोरसायन और बुनियादी संरचना संबंधी विकास जैसे क्षेत्रों में विदेशी परियोजनाओं से संबंधित थीं।

हालांकि निर्यातकों के लिए आस्थगित भुगतान की शर्तों वाली बोलियों के संबंध में बोली लगाने के स्तर पर वचनबद्धता की अपेक्षा नहीं होती है फिर भी एक्ज़िम बैंक ने समीक्षा वर्ष के दौरान कुल 31.24 बिलियन रुपये की सैद्धांतिक वचनबद्धताएँ* कीं जो परियोजना निर्यात

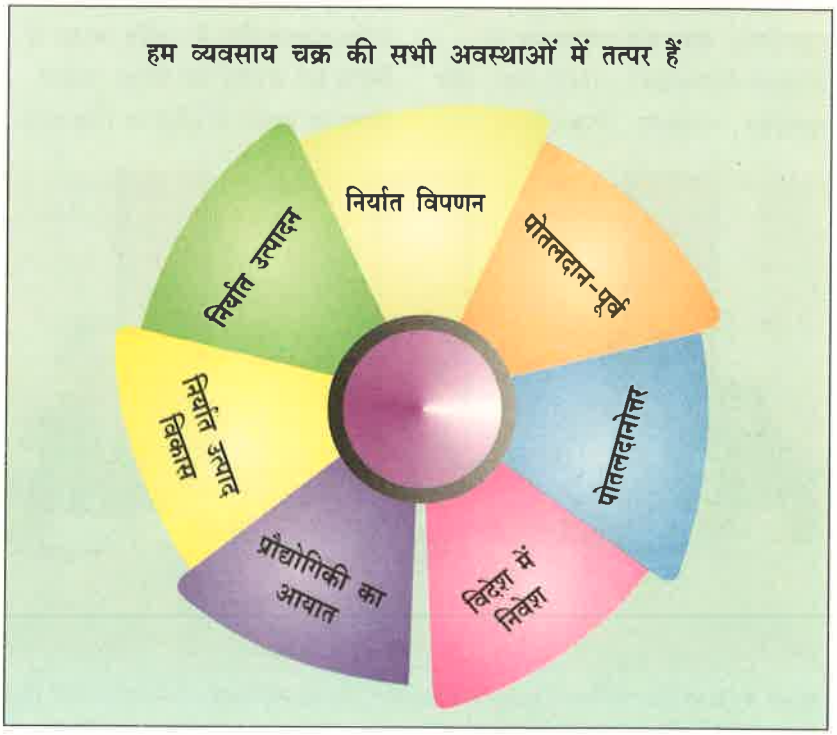

* सिद्धांत रूप में की गईं वचनबद्धताओं का उल्लेख बोली प्रस्तुत किये जाने के चरण में एक्ज़िम बैंक द्वारा वायदा किये गये वित्त की सीमा के लिये किया गया है। ऐसे वायदे उस समय मंजूरियों में परिवर्तित हो जाते हैं जब बोलियाँ, संविदाओं का मूर्त रूप ले लेती हैं।

बोलियों के संबंध में हैं, जिनमें ऋणों के लिए 20.64 बिलियन रुपये की और गारंटियों के लिए 10.60 बिलियन रुपये की वचनबद्धताएँ शामिल हैं ।

ऋण-व्यवस्थाएँ

वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और क्षेत्रीय विकास बैंकों तथा विदेशी सत्ताओं को, एक्ज़िम बैंक द्वारा उपलब्ध करायी गयी ऋण-व्यवस्थाओं ने भारतीय निर्यातकों विशेषकर लघु और मध्यम आकार के उद्यमों को वित्तपोषण के विकल्पों का सहारा न लेने का एक सुरक्षित माध्यम उपलब्ध कराया है । उत्तरोत्तर प्रतिस्पर्धी परिवेश में रहने के कारण एक्ज़िम बैंक, ऋण-व्यवस्था की प्रक्रिया-तंत्र के माध्यम से व्यापार वित्तपोषण पर नये सिरे से अपना ध्यान केन्द्रित कर रहा है । एक्ज़िम बैंक ने, भारत से माल और सेवाओं के निर्यात को सहायता देने के लिए, वर्ष के दौरान कुल 95.0 मिलियन अमेरिकी डालर की नौ ऋण-व्यवस्थाएँ उपलब्ध करायी हैं । ये ऋण-व्यवस्थाएँ बैंको ब्राडेस्को (ब्राज़ील), बैंको सेंट्रोअमेरिकानो डी इंटीग्रेसन ईकोनोमिका (कोस्टा रीका, एल सेल्वाडोर, ग्वेटमाला, होंडूरस, निकारागुआ को शामिल करके), बैंको डी कॉमर्सिओ एक्स्टीरिअॅर डी कोलंबिया (कोलंबिया), बैंको इंडस्ट्रीयल डी वेनेज़ुएला (वेनेज़ुएला), बैंको नैशनल डी कॉमर्सिओ एक्सटीरिअॅर (मेक्सिको), बैंक मरकज़ी जम्हूरी इस्लामी ईरान (ईरान), कॉर्पोरेसियन एंडीना डी फोमेंटो (बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरु, वेनेज़ुएला को शामिल करके), ईस्टर्न एण्ड सदर्न अफ्रीकन ट्रेड एण्ड डिवेलपमेंट बैंक (अफ्रीका में 16 देशों को शामिल करके) और (विनेशेइकानोम बैंक (रशिया) को प्रदान की गई थीं । ये उधारकर्ता संस्थायें सुदृढ़ क्षेत्रीय विकास वित्तीय संस्थायें अथवा केन्द्रीय बैंक अथवा एक्ज़िम बैंक की तरह विशेषीकृत संस्थायें हैं।

वर्ष के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, एक्ज़िम बैंक की ऋण-व्यवस्थाओं को विस्तृत आधार प्रदान किया है । भारत सरकार की एक्ज़िम नीति के अंतर्गत अनुमत्य सभी निर्यातयोग्य वस्तुओं को बैंक की ऋण-व्यवस्थाओं के अधीन शामिल किया गया है । चूँकि बाज़ार में विशेष रूप से लघु एवं मध्यम आकार उद्यमों के बाज़ार में प्रवेश के लिए ऋण-व्यवस्था एक प्रभावी तंत्र साबित होती है अत: बैंक को इसके द्वारा भारतीय निर्यातकों को प्रोत्साहित किया जाना और भी सुगम हो सकेगा । गत वर्षों में, ऋण-व्यवस्थाओं के अधीन पूँजीगत माल, औद्योगिक विनिर्मितियों और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के लिए वित्तपोषण के लिए बैंक को अनुमति प्राप्त थी ।

बैंक ने मैक्सिको, ब्राज़ील, कोलंबिया, बोलिविया, इक्वाडोर, पेरु, वेनेज़ुएला और मध्यवर्ती अमेरिका के देशों सहित लैटिन अमेरिकी देशों में आयातकों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के आयातों के वित्तपोषण के लिए, ऋण-व्यवस्थाएँ प्रदान की हैं । बैंक, क्षेत्र विशेष के अधिकाँश भागों में ऋण-व्यवस्थाओं की व्याप्ति बढ़ाने के लिए लैटिन अमेरिका की अन्य संस्थाओं के साथ भी विचार-विमर्श कर रहा है । यह भारत और लैटिन अमेरिका के बीच व्यापार का संवर्धन करने के लिए भारत सरकार की विशेष पहल - फ़ोकस एल ए सी की संपूरक है ।

समीक्षा वर्ष के दौरान, भारत सरकार ने, बैंक को 200 मिलियन अमेरिकी डालर की अपनी ऋण-व्यवस्था को एक्ज़िम बैंक के जरिये ईरान को देने के लिए प्राधिकृत किया है । बैंक, ऋण-व्यवस्था को परिचालनगत करने के लिए, ईरान में अपने प्रतिरूप के साथ विचार-विमर्श कर रहा है ।

भारतीय निर्यातों को रशियन फेडरेशन में बढ़ावा देने के लिए श्री ए. एल. कोस्टिन, चेअरमैन, विनेशेइकानोम बैंक, रशिया के साथ मास्को में ऋण-व्यवस्था करार पर हस्ताक्षर करना ।

II. निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता का सृजन

यह बैंक, भारतीय कंपनियों की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता की अभिवृद्धि करने के लिए उद्दिष्ट वित्तपोषण के कार्यक्रमों की शृंखला परिचालित करता है । बैंक ने, 2001-02 के दौरान, निर्यात

प्रतिस्पर्धात्मकता में अभिवृद्धि करने के कार्यक्रम के अधीन कुल मिलाकर 33.0 बिलियन रुपये के ऋण मंजूर किये हैं। इन कार्यक्रमों के अधीन कुल 30.52 बिलियन रुपये की राशि के संवितरण किये गये हैं।

निर्यात उन्मुख इकाइयों को ऋण

समीक्षा वर्ष के दौरान बैंक ने इक्तीस निर्यात उन्मुख इकाइयों को 4.78 बिलियन रुपये के आवधिक ऋण मंजूर किये हैं। समीक्षा वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के अधीन संवितरणों की राशि 4.24 बिलियन रुपये है।

उत्पादन उपकरण वित्त कार्यक्रम के अधीन अठारह निर्यातक कंपनियों को उत्पादन उपकरणों की संप्राप्ति के वित्तपोषण के लिए 4.24 बिलियन रुपये मंजूर किये गये थे। इस कार्यक्रम के अधीन संवितरणों की राशि 4.05 बिलियन रुपये है।

इक्यावन कंपनियों को कुल मिलाकर 7.55 बिलियन रुपये की कार्यशील पूँजी के ऋण मंजूर किये गये हैं। उक्त कंपनियों को किये गये संवितरणों की राशि 6.24 बिलियन रुपये है।

बैंक द्वारा वित्तपोषित निर्यात उन्मुख इकाइयों के अंतर्गत उपभोक्ता वस्तुएँ, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इंजीनियरी, कृषि एवं खाद्य प्रक्रमण, आटो कंपोनेंट्स, वस्त्र, रसायन, औषधियाँ, सिरेमिक टाइल्स, होम फर्निशिंग और पेट्रोरसायन जैसे क्षेत्रों की व्यापक श्रेणी आती है।

प्रौद्योगिकी कोटि उन्नयन निधि योजना

इस बैंक ने भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई वस्त्र और जूट उद्योग की प्रौद्योगिकी कोटि उन्नयन निधि योजना के अधीन प्राथमिक उधारदात्री संस्था के रूप में आठ कंपनियों को कुल मिलाकर 877.20 मिलियन रुपये के ऋण मंजूर किये हैं। प्रौद्योगिकी कोटि उन्नयन निधि योजना संवितरणों की कुल राशि 811.4 मिलियन रुपये है।

अल्पावधिक वित्त

अल्पावधिक वित्त कार्यक्रम के अधीन, बैंक ने 89 कंपनियों को 13.41 बिलियन रुपये मंजूर किये हैं। संवितरणों की राशि 12.74 बिलियन रुपये है।

अनुसंधान एवं विकास के लिए वित्त

भारतीय कंपनियों की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता के निर्धारक के रूप में अनुसंधान एवं विकास के महत्त्व को मानते हुए बैंक ने, रियायती ब्याज दर वाले ऋणों के रूप में निर्यात उन्मुख कंपनियों के अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों की सहायता करना जारी रखा है। पाँच कंपनियों को कुल मिलाकर 72.8 मिलियन रुपये के ऋण मंजूर किये गये हैं । इनके संवितरणों की सकल राशि 323.8 मिलियन रुपये है। यह वित्त औषधियों और रसायनों के अनुसंधान एवं विकास के प्रयासों की सहायता करने के लिए प्रदान किया गया है।

निर्यात विपणन वित्त / निर्यात उत्पाद-विकास

समीक्षा वर्ष के दौरान, बैंक ने विकसित देशों के औषधियों तथा इंजीनियरी सामान के बाज़ारों में प्रवेश करने और उनमें उपस्थिति बनाये रखने की निर्यात बाज़ार के विकास की रणनीतिक योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 37.7 मिलियन रुपये मंजूर किये हैं और 97.8 मिलियन रुपये संवितरित किये हैं।

समुद्रपारीय निवेश वित्त

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, विदेशों में उपक्रम स्थापित करने और विदेशी कंपनियों के अधिग्रहण, जो कि एक वाणिज्य बैंक को मंजूर पुनर्वित्त के जरिये 10.0 मिलियन रुपये की राशि शामिल

बैंक द्वारा प्रदान की गई कुल ऋण राशियाँ

(रुपये मिलियन में)

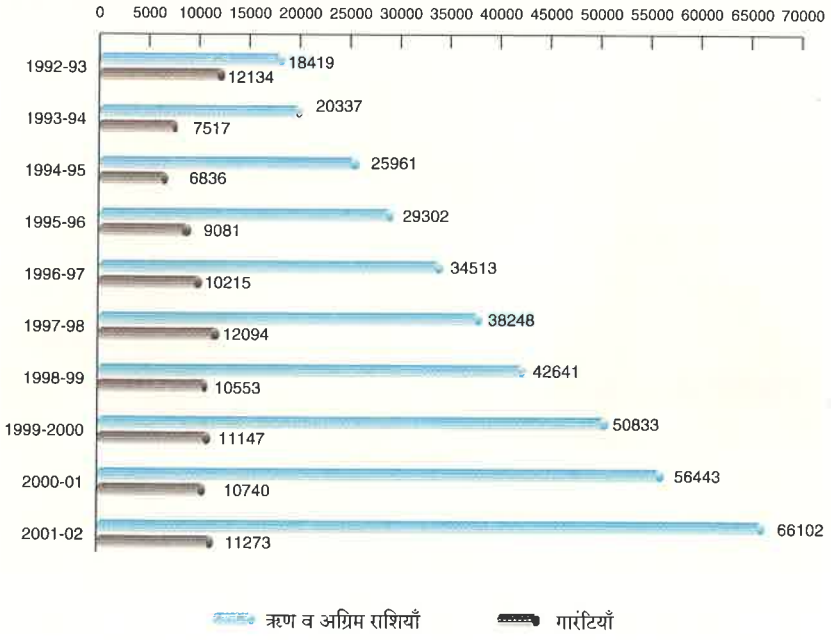

करके है, कुल मिलाकर 60.0 मिलियन रुपये के ऋण मंजूर किये गये थे। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कुल 83.5 मिलियन रुपये के संवितरण किये गये थे। समुद्रपारीय उद्यमों में संयुक्त राज्य अमेरिका में होम फर्निशिंग और दाँतों की देखभाल के क्षेत्र शामिल हैं।

समुद्रपारीय भारतीय उद्यमों में प्रत्यक्ष ईक्विटी सहभागिता

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने नीदरलैंड के एक उद्यम की ईक्विटी शेयर में 44.1 मिलियन रुपये के निवेश किये।

निर्यात सुगमीकरण कार्यक्रम

समीक्षा वर्ष के दौरान बैंक ने, 779.6 मिलियन रुपये की राशि तीन कंपनियों को, पोर्ट सेवाओं तथा जैव-प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने के लिए मंजूर की थी। कुल संवितरण 667.7 मिलियन रुपये के थे।

हामीदारी - कार्यक्रम

समीक्षा वर्ष के दौरान, बैंक ने, पेट्रोरसायन और वस्त्र उद्योग क्षेत्रों की दो कंपनियों के सार्वजनिक निर्गम, जिसकी हामीदारी बैंक ने की थी, के लिए ईक्विटी और पूर्ण परिवर्तनीय डिबेंचर निर्गम में 157.1 मिलियन रुपये की सीमा तक अभिदान किया।

इंडिया टेक्नालॉजी वेंचर यूनिट स्कीम

भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा प्रवर्तित, इंडिया टेक्नालॉजी वेंचर यूनिट स्कीम, 10 वर्षीय समाप्ति निधि है, जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में निवेश करना है। वर्ष 2001-02 के दौरान बैंक ने पुन: 62.5 मिलियन रुपये की राशि उक्त निधि में निवेश की है।

III. नयी पहलें

कृषि व्यवसाय कक्ष

कृषि उत्पादों और अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बनाये रखने के लिए अवसरों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उभरती विश्व व्यापार संगठनात्मक व्यवस्था विश्व बाज़ार में भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए बैंक के दिसंबर 2001 में कृषि व्यवसाय कक्ष की स्थापना की है। यह कक्ष व्यवहार्य परियोजना और कृषि क्षेत्र के लिए वित्तपोषण हेतु निर्यात लेन-देनों पर नज़र रखेगा।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के संयुक्त तत्वावधान में कृषि उत्पादों की निर्यात संभावनाएं और चुनौतियाँ विषय पर पुणे में बैंक ने एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार का उपयोग एक ऐसे मंच के रूप में किया गया जिसमें वर्तमान परिदृश्य का मूल्यांकन किया गया तथा बाज़ार विकास योजना की रणनीति तैयार की गयी साथ ही कृषि निर्यात लाभ शीर्षक से सूचना पत्र, बैंक द्वारा अंग्रेजी, हिंदी और चयनित भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किया जा रहा है।

आमतौर पर भारत की आर्थिक वृद्धि और विशेषकर निर्यातों में वृद्धि के लिए कृषि क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण स्थिति को देखते हुए एक्जिम बैंक भारत के कृषि निर्यातों

ऋणों का क्षेत्रवार-वितरण
1992-2002 में मंजूर और संवितरित-राशि
(रुपये मिलियन में)

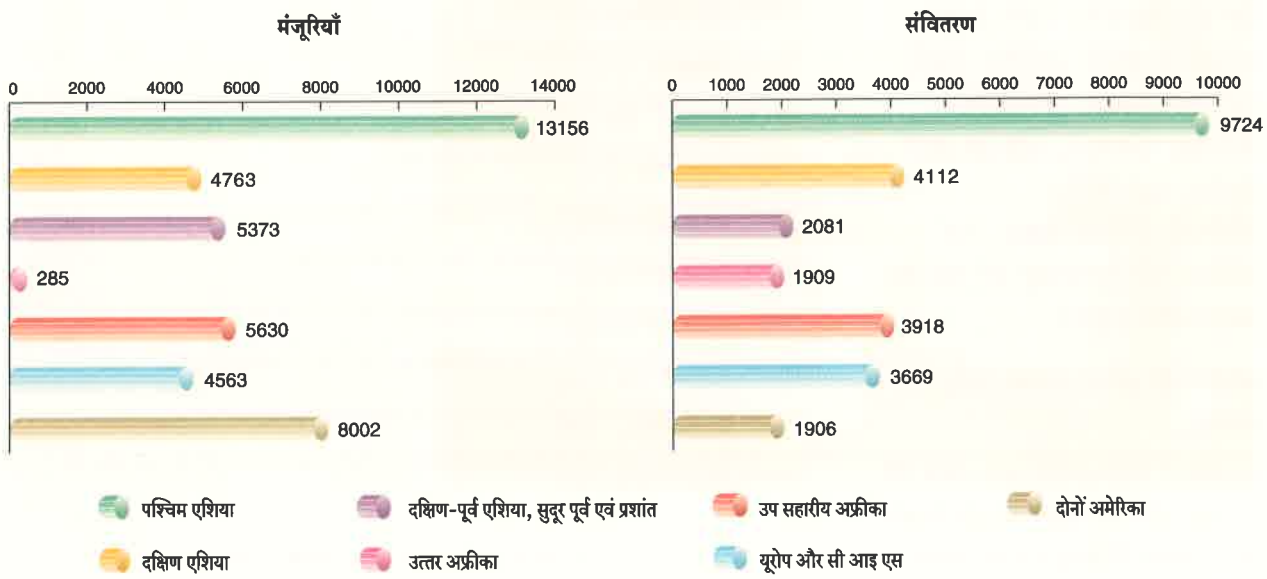

को बढ़ाने के लिए नयी पहलें शुरू करने की प्रक्रिया में है। कृषि उद्योग अब एक्जिम बैंक द्वारा उपलब्ध करायी जा रही उत्पादों और सेवाओं की व्यापक सुविधाओं जैसे निर्यात ऋण निर्यातोन्मुखी कंपनियों और परामर्शी सेवाओं के लिए वित्तपोषण का लाभ उठा सकता है। एक्जिम बैंक निर्यातों के लिए साझेदारी आधार पर कृषकों के साथ ठेकागत खेती के माध्यम से पश्चात संबंध की संविदा करके निर्यातकों को कृषि वित्त उपलब्ध करायेगा । एक्जिम बैंक भारत के कृषि निर्यातों के लिए अग्रता संबंध की रणनीति विकसित करने के लिए भी वित्त उपलब्ध करायेगा जिसके लिए विदेशी बाज़ारों/बाज़ार घटकों की पहचान, उत्पादों का सीधा विपणन तथा अपने अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क जिसमें विदेश स्थित कार्यालय, सहयोगकर्ता साझीदार, प्रतिनिधि बैंक और वित्तीय संस्थाएँ शामिल हैं, के माध्यम से विदेशी व्यवसाय अवसरों की तलाश करना शामिल है ।

भारतीय कंपनियों के लिए निर्यात विपणन सेवाएं

एक्जिम बैंक ने भारतीय कंपनियों के लिए निर्यात विपणन सेवाएं उपलब्ध कराकर नयी पहल शुरू की है । एक्जिम बैंक के विदेशी कार्यालयों का नेटवर्क एक सक्रिय भूमिका निभायेगा और सफलता शुल्क के आधार पर सेवाएँ उपलब्ध करायी जायेंगी । यह नयी सेवा विशेषकर लघु और मध्यम आकार उद्यमों के क्षेत्र में, ख्याति प्राप्त और गुणवत्ता के लिए जागरुक भारतीय कंपनियों के उत्पादों के लिए विदेशी बाज़ारों में संभावनाओं का पता लगाने के लिए बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है । इस गतिविधि में विदेशों में क्रेताओं/आयातकों से प्रारंभिक बातचीत पक्षकारों को एक दूसरे से मुलाकात कराना तथा सौदा तय करने में सुविधाकारक के रूप में कार्य करके बैंक से संबंधित भारतीय निर्यातक को समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करना शामिल है । हंगरी के लिए फार्मा ग्रेड की काँच की बोतलों की आपूर्ति, हंगरी के लिए ही कपड़ा वस्त्रों के धागे, दक्षिण अफ्रीका और इटली के लिए पैक किये गये स्नैक खाद्य पदार्थों के लिए प्रायोगिक आदेश प्राप्त हो चुके हैं ।

एक्जिम बैंक द्वारा प्रवर्तित, ग्लोबल ट्रेड फाइनांस प्रा. लि. का श्री राजीव प्रताप रूडी, केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, राज्य मंत्री द्वारा उद्घाटन ।

संयुक्त उद्यम

ग्लोबल ट्रेड फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड (जी टी एफ), वेस्टड्यूश लैंडेस बैंक गिरोज़ेंट्रेल (वेस्ट एल बी) जर्मनी और अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, वाशिंग्टन के संयुक्त उपक्रम में है । इसने अपना व्यवसाय सितंबर 2001 से आरंभ किया है । जी टी एफ का उद्देश्य विश्व व्यापार के बढ़ते प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में लघु और मध्यम हैसियत के भारतीय निर्यातकों के लिए बाज़ार आधारित वित्तपोषण की समस्याओं का समाधान निकालना है । जी टी एफ भारत में पहली बार विन्यासगत विदेश व्यापार वित्तपोषण उत्पादों यथा फॉरफेटिंग और फैक्टरिंग जैसी सेवाओं का प्रस्ताव करती है ।

उद्योग के साथ परस्पर संपर्क

एक्जिम बैंक उद्योग जगत के साथ नियमित रूप से संपर्क और विचारों का आदान-प्रदान करता रहा है तथा एक परस्पर संपर्क वेबसाइट के माध्यम से निर्यातकों तथा चुनिंदा निर्यातक कंपनियों के साथ निरन्तर संपर्क बनाये हुए है ।

ऋण वसूली समूह

बैंक में ऋण की निगरानी और ऋण की वसूली व्यवसाय को और भी सुदृढ़ किया गया है । इस वर्ष के दौरान एक ऋण वसूली समूह गठित किया गया है तथा ऋण निगरानी और वसूली प्रक्रिया स्थापित की गयी है । ऐसी प्रक्रियाएँ अपनायी गयी हैं जो मानक आस्तियों को गैर-निष्पादक आस्तियों के रूप में

परिवर्तित हो जाने से रोकेंगी जिसमें प्रारंभिक चेतावनी संकेतकों की प्रणाली के साथ-साथ ऋण खातों को ए बी सी वर्गों में बांटने की प्रणाली भी चालू की गयी है ।

IV. वित्तीय निष्पादन

संसाधन

31 मार्च 2002 को 6.50 बिलियन रुपये की चुकता पूँजी और 12.03 बिलियन रुपये की आरक्षित निधियों सहित बैंक के संसाधनों की सकल राशि 82.73 बिलियन रुपये होती है । यथा 30 मार्च 2002 को भारतीय रिज़र्व बैंक के खातों से बकाया आर बी आइ - राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि ऋण भारतीय रिज़र्व बैंक के खाते से भारत सरकार को अंतरित कर दिया है और भारत सरकार ने, बैंक द्वारा जारी किये गये 8 प्रतिशत, 2022 बांड में अभिदान किया है । ये बांड, बैंक की पूँजी स्तर I के लिए योग्य हैं । बैंक के संसाधन आधार में बांड, जमा-प्रमाणपत्र, वाणिज्यिक पत्र और विदेशी मुद्रा की उधार राशियाँ/विनिमय शामिल हैं । इस बैंक ने 2.24 बिलियन रुपये मूल्य के समतुल्य बिक्री/खरीद अमेरिकी डालर/रुपये विनिमय किये हैं और लघु अवधि परिसमापन प्रबंधन के भाग के रूप में 1.50 बिलियन रुपये (अंकित मूल्य) के वाणिज्यिक पत्र जारी किये हैं ।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने 6.25 बिलियन रुपये की राशि, 5 वर्षों की अवधि के प्राइवेट प्लेसमेंट बांडों के माध्यम से, बाज़ार-उधार राशियों के जरिये जुटायी है । इसके अतिरिक्त, बैंक ने 1.14 बिलियन रुपये (अंकित मूल्य) एक वर्ष की अवधि के जमा प्रमाणपत्रों के रूप में जुटाये हैं ।

मंजूर ऋणों का औद्योगिक वितरण 1992-2002

(रुपये मिलियन में)

बैंक की ऋण-लिखतों को, ऋणपात्रता निर्धारण की उच्चतम श्रेणी अर्थात भारतीय ऋण निर्धारण सूचना सेवा लिमिटेड (क्रिसिल) और भारतीय ऋण पात्रता निर्धारण एजेंसी (इक्रा) का 'ए ए ए' निर्धारण बना रहा है । 31 मार्च 2002 को, बांडों और जमा-प्रमाणपत्रों वाणिज्यिक पत्र सहित बकाया ऋण राशियाँ 33.28 बिलियन रुपये थीं ।

बैंक ने राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ 20 मिलियन यू एस डालर भी यू. एस. डालर/रुपया दीर्घ अवधि विनिमय के माध्यम से जुटाये थे। बैंक को वाणिज्य बैंकों के एफ सी एन आर (बी) निधियों में से विदेशी मुद्रा उधार राशियाँ जुटाने के लिए भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त हुआ है । वर्ष के दौरान एफ सी एन आर (बी) निधियों में से कुल 36 मिलियन यू एस डालर की उधार राशियाँ जुटायी गई हैं । यथा 31 मार्च 2002 को बैंक के पास 407.2 मिलियन यू एस डालर की समतुल्य राशि के विदेशी मुद्रा संसाधानों का ऐसा भंडार था जो 42.5 मिलियन यू एस डालर के मध्यावधिक/दीर्घावधिक विनिमय 106.0 मिलियन यू एस डालर, वाणिज्य बैंकों की एफ सी एन आर (बी) निधियों में से विनिमय/उधार

राशियों के जरिये जमा राशियों, 258.7 मिलियन यू एस डालर की समूहित ऋण/ऋण-व्यवस्थाओं को शामिल करके बना था। बैंक की जमा राशियों पर लिये गये अल्पावधिक आंतर-बैंक उधारों की राशि 43.4 मिलियन यू एस डालर होती है।

आय / व्यय

2001-02 के दौरान बैंक के कर पूर्व लाभ और करोत्तर लाभ क्रमश: 2.21 बिलियन रुपये और 1.71 बिलियन रुपये हैं जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष के कर पूर्व लाभ और करोत्तर लाभ क्रमश: 2.05 बिलियन रुपये और 1.54 बिलियन रुपये थे। कारोबार आय, जिसमें ब्याज, बट्टा, विनिमय कमीशन, दलाली और शुल्क शामिल हैं, वर्ष 2001-02 के दौरान 6.70 बिलियन रुपये थी, वह वर्ष 2000-01 में 6.92 बिलियन रुपये के मुकाबले में है। वर्ष 2001-02 में दिया गया ब्याज (ऋण-बीमा गारंटी शुल्क शामिल करके) 4.56 बिलियन रुपये था जो कि 0.26 बिलियन रुपये कम है जिसका मिश्रित कारण, बांड जुटाने के लिए कमतर वृद्धिशील लागत का होना तथा 6 महीने यू एस डालर लाइबोर में गिरावट होना है। उधार राशियों की औसत लागत (औसत उधार राशियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज व्यय) जो 31 मार्च 2001 में 10.06 प्रतिशत थी वह घटकर 31 मार्च 2002 में 8.59 प्रतिशत रह गयी थी।

पूँजी पर्याप्तता

भारतीय रिज़र्व बैंक के मानकों के अनुसार हिसाब लगाया गया पूँजी का जोखिम आस्ति अनुपात (सी आर ए आर) 31 मार्च 2002 को 33.13 प्रतिशत है जब कि इसकी तुलना में वह 31 मार्च 2001 को 23.83 प्रतिशत था। यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किया गया मानदंड 9 प्रतिशत के मुकाबले में है। स्तर 1 पूँजी में वृद्धि का कारण 1.0 बिलियन रुपये की अतिरिक्त पूँजी भारत सरकार से प्राप्त हुई थी और 5.32 बिलियन रुपये का भारतीय रिज़र्व बैंक - राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) का भारत सरकार द्वारा अभिदत्त बांड़ों में परिवर्तन करना है जो स्तर 1 पूँजी अर्थात 20 वर्ष की परिपक्व अवधि के लिए पात्र है। 31 मार्च 2002 को ऋण-ईक्विटी अनुपात 2.57:1 है जो कि 31 मार्च 2001 के 2.84:1 के मुकाबले में है।

वित्त निवेश (एक्सपोज़र) के मानदंड

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अखिल भारतीय आवधिक ऋणदात्री संस्थाओं के लिए ऋण प्रदान करने की सीमायें, 31 मार्च 2002 से प्रभावी, व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को प्रदान किये जानेवाले वित्त के लिए, वित्त संस्थाओं की पूँजी-निधियों (चुकता पूँजी और अप्रतिबंधित आरक्षित निधियों) की 15 प्रतिशत और समूह उधारकर्ताओं को प्रदान किये जानेवाले वित्त के लिए 40 प्रतिशत निर्धारित की है।

31 मार्च 2002 को, बैंक के एकल उधारकर्ता और समूह उधारकर्ताओं को प्रदान किये गये वित्त (ऋण की बकाया राशियाँ, उपयोग में नहीं लायी गयी मंजूरियों और गारंटी-वायदों के 50 प्रतिशत को जोड़कर) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पूँजी निधियों के लिए निर्धारित की गई सीमायें क्रमश: 15 प्रतिशत और 40 प्रतिशत के भीतर थीं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय संस्थाओं को यह सूचित किया है कि वे विशिष्ट उद्योग क्षेत्रों को प्रदान किये जाने वाले वित्त के लिए आंतरिक सीमायें लागू करें ताकि विभिन्न क्षेत्रों को प्रदान किये जाने वाले वित्त समान रूप से फैले रहें। बैंक की, वस्त्र उद्योग को जिसकी वित्त प्रदान करने की निर्धारित सीमा 20 प्रतिशत है, को छोड़कर, उद्योग के लिए निर्धारित मानदंड

उपार्जन

(रुपये मिलियन में)

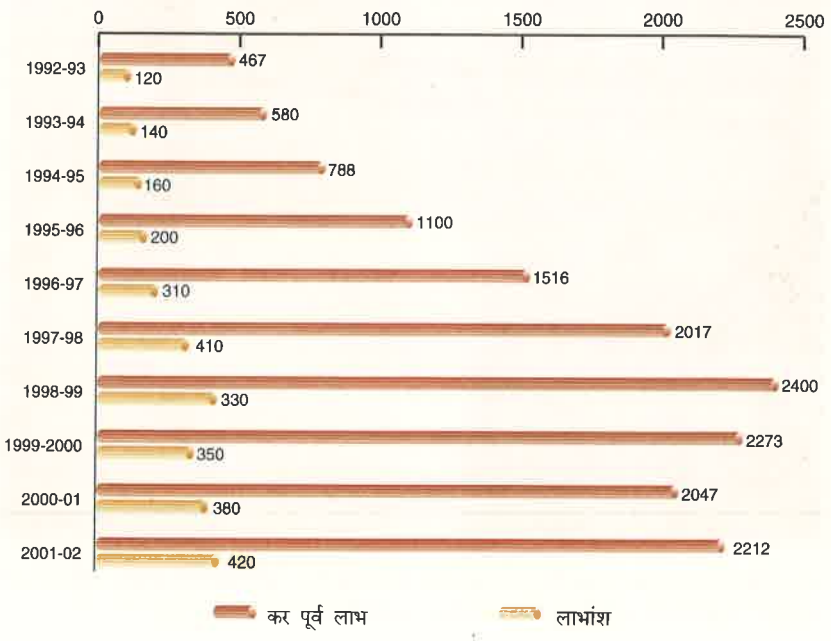

कुल ऋण संविभाग के 15 प्रतिशत है। 31 मार्च 2002 को, बैंक का किसी एकल उद्योग क्षेत्र को प्रदान किया गया ऋण, कुल प्रदान किये गये ऋण का 11 प्रतिशत से अधिक नहीं था।

राजकोष

निगमित वित्त समूह, एकीकृत कोष, संसाधन/निवेश और लेखांकन प्रकार्यों का कार्य संपन्न करता है। बैंक ने, 2001-02 के दौरान अपने कोषीय परिचालनों में वृद्धि की है। बैंक ने अपनी नियत दर उधार राशियों के एक हिस्से को चल दर देयताओं में परिवर्तित किया है और अपने ग्राहकों को चल दर पर ऋण प्रदान करना आरम्भ किया है। अपने स्वयं के लेखों को वित्त निवेश संरक्षण के लिए देयता प्रबंधन अभ्यास के एक हिस्से के रूप में बैंक ने वर्ष के दौरान, कुछ ब्याज दर विनिमय/वायदा दर करारों का भी लेन-देन किया है। बैंक उन प्रथम पाँच बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में से एक है जो भारतीय रिज़र्व बैंक, द्वारा कार्यान्वित नेगोशिएटिड डीलिंग सिस्टम (एन डी एस) के सदस्य बने हैं। बैंक, क्लियरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सी सी आइ एल), प्रतिभूतियों तथा विदेशी मुद्रा दोनों के क्लियरिंग खंडों का एक सदस्य बन गया है। बैंक ने राजकोषीय कार्यकलाप के एक हिस्से के रूप में, अपने ग्राहकों की ओर से सोसायटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनान्सियल टेलीकम्युनिकेशन (स्विफ्ट) के जरिये साख पत्र और गारंटियाँ जारी की हैं।

आस्ति-देयता प्रबंधन

बैंक की आस्ति-देयता समिति, तरलता/ब्याज दरों के जोखिमों की समीक्षा करने तथा उनके सुधारात्मक उपायों पर विचार करने के प्रयोजन से महीने में कम से कम एक बार बैठक आयोजित करती है। संसाधनों की आयोजना वर्ष के आरंभ में ही की गई है और वर्ष के दौरान उधार राशियाँ हिस्सों में जुटायी गयी हैं। ए एल एम प्रोफाइल में अंतरों के लिए विवेकपूर्ण सीमायें निर्धारित की गई हैं। इनकी समीक्षा आवधिक आधार पर की जाती है। ए एल एम सॉफ्टवेयर पैकेज का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

श्री बालासाहेब विखे पाटिल, केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री (व्यय, बैंकिंग एवं बीमा) 'कृषि उत्पादों का निर्यात : संभावनाएँ और चुनौतियाँ' विषय पर पुणे में आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार के अवसर पर उद्घाटन भाषण करते हुए।

जोखिम प्रबंधन

एक परामर्शदात्री फर्म की सिफारिशों के आधार पर बैंक ने एक जोखिम प्रबंधन रचना आधार संरचित किया है। नयी संगठन संरचना के अनुसार जोखिम प्रबंधन, परिचालन समूहों से स्वतंत्र कार्य करता है तथा शीर्ष प्रबंधन को सीधे रिपोर्ट करता है। एक जोखिम प्रबंधन समिति की स्थापना, ऋण-जोखिम, बाज़ार जोखिम, परिचालनगत जोखिम और तरलता जोखिम सहित विभिन्न जोखिमों के समष्टि पहलुओं का मूल्यांकन करने के लिए की गई है।

आस्ति गुणवत्ता

भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार जिस ऋण/कर्ज़ सुविधा से संबंधित देय ब्याज और या मूलधन 180 दिन से अधिक बकाया बना रहा है, उसकी परिभाषा अनुपयोज्य आस्तियों (एन पी ए) के रूप में की जाती है। बैंक की (प्रावधानों का शुद्ध) अनुपयोज्य आस्तियों का हिसाब लगाने पर वे 31 मार्च 2002 को बैंक के कुल ऋणों और अग्रिमों (प्रावधानों का शुद्ध) का 7.38 प्रतिशत होती हैं जो कि गत वर्ष 8.17 प्रतिशत के मुकाबले में है।

आस्ति वर्गीकरण

'अवमानक आस्तियाँ' वे ऋण होती हैं जिनके ब्याज और/अथवा जिनके मूलधन की किस्तें 180 दिनों से अधिक परन्तु 18 महीनों से अनाधिक की अवधि से अतिदेय होती हैं। जहाँ आस्ति 18 महीनों से अधिक अवधि से अनुपयोज्य संपत्ति होती है, ऐसी आस्तियों को "संदिग्ध आस्तियों" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। "हानि की आस्तियाँ" वे होती हैं जो वसूली के योग्य नहीं समझी जातीं। 31 मार्च 2002 को कुल ऋणों

और अग्रिमों की 7.38 प्रतिशत की शुद्ध अनुपयोज्य आस्तियों में अवमानक और संदिग्ध आस्तियाँ हिसाब लगाने पर क्रमश: 4.07 प्रतिशत और 3.31 प्रतिशत होती हैं तथा हानि की आस्तियों के लिए पूर्णरूपेण प्रावधान कर लिया गया है ।

आंतरिक लेखा परीक्षा

बैंक के आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यों की देखरेख निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (ए सी) द्वारा की जाती है । इस लेखा परीक्षा समिति की एक वर्ष में कम-से-कम छह बैठकें होती हैं । बैंक की लेखा परीक्षा समिति का उद्देश्य, बैंक के संपूर्ण लेखा परीक्षा कार्य की देखरेख करना तथा उसे मार्ग दर्शन प्रदान करना है ताकि प्रबंधन के एक माध्यम के रूप में उसकी प्रभावशालिता में वृद्धि हो और वह सांविधिक/बाहरी लेखा परीक्षा रिपोर्टों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्टों में उठाये गये सभी मुद्दों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करे ।

V. सूचना और सलाहकारी सेवायें

बैंक, सूचना, सलाहकारी और सहायता की ऐसी सेवाओं की एक व्यापक श्रेणी प्रदान करता है जो उसके वित्तपोषक कार्यक्रमों को संपूर्ण बनाती है । ये सेवायें भारतीय कंपनियों और समुद्रपारीय सत्ताओं को शुल्क के आधार पर प्रदान की जाती हैं । इन सेवाओं के दायरे में बाज़ारों से संबंधित सूचना, क्षेत्र और व्यवहार्यता अध्ययन, प्रौद्योगिकी पूर्तिकारों का अभिनिर्धारण, भागीदारों की खोज, निवेश सुगमीकरण तथा भारत और विदेश दोनों में ही संयुक्त उद्यमों का विकास शामिल है ।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने, भारत और विदेश में कंपनियों को सेवाओं की एक श्रेणी प्रदान की है । भारतीय कंपनियों को, आस्ट्रेलिया और ब्राज़ील में आटोमोटिव आफ्टर मार्केट इंडस्ट्री को, चीन में सुगन्ध बाज़ार, बैंडेज क्लाथ के कनाडियाई क्रेता, रसायनों, चाय, काफी, फलों के रस तथा अन्य चयनित उपकरण के लिए हंगेरियाई आयातकों को, ब्राज़ील में औषधीय उद्योग और आटोमोबाइल में क्रेता/आयातक, दक्षिण अफ्रीका के कृषि और अन्य इंजीनियरी उद्योगों को और हंगरी के चयनित उपकरण आपूर्तिकर्ताओं को बाज़ार सूचना उपलब्ध करायी गई थी । अर्थमूविंग और खनन उपकरण के क्षेत्र में, एक भारतीय कंपनी को दक्षिण अफ्रीका के संभावी क्रेता के साथ बैठक की व्यवस्था करने के माध्यम से सहायता प्रदान की गई थी । संयुक्त राज्य अमेरिका में एक विदेशी कंपनी को, हंगरी में कंप्यूटर प्रशिक्षण उद्योग के लिए बाज़ार अध्ययन सहित, सूचना उपलब्ध करायी गयी। भारत से फूड प्रोसेसिंग उपकरणों की आपूर्तिकर्ता दो समुद्रपारीय संस्थाओं को; अदरक और कॅसावॅ के यू एस आयातकों को और भारतीय बजट में, विनिर्मित उत्पादों पर टैरिफ कटौतियों पर सूचना उपलब्ध करायी गई थी ।

श्री एन. चन्द्राबाबू नायडू मुख्य मंत्री, आंध्र प्रदेश द्वारा बैंक के हैदराबाद कार्यालय का उद्घाटन ।

समुद्रपारीय बहुदेशीय निधिक परियोजनायें (एम एफ पी ओ)

विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, अफ्रीकी विकास बैंक, तथा यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक द्वारा निधीयित परियोजनाओं का व्यवसाय प्राप्त करने की भारतीय कंपनियों की संभावनाओं में वृद्धि करने की सहायता करने के लिए बैंक इन कंपनियों को सूचना और सहायता सेवा का पैकेज प्रदान करता है । बैंक ने भारतीय निर्यातक कंपनियों के बीच समुद्रपारीय व्यवसाय के 185 अवसरों से संबंधित सूचना का प्रचार-प्रसार किया है ।

एक्जिमिअस क्लब

बैंक द्वारा स्थापित एक्जिमिअस क्लब की सदस्य कंपनियों की अंतरराष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकतायें पूरी करने के लिए बैंक ने सदस्य-कंपनियों को सूचना और सलाहकारी सेवायें प्रदान की हैं । सदस्य कंपनियों को दिये गये इस सेवा के पैकेज

में बहुराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा निधीयित परियोजनाओं में उनके अवसरों को बढ़ाने की सहायता करने पर ध्यान संकेन्द्रित किया गया है। इन कंपनियों की इंजीनियरी, बिजली पारगमन, शिक्षा, दूर संचार, निर्माण कार्य तथा इंजीनियरी रूपरेखा (डिज़ाइन) के परामर्श जैसे क्षेत्रों की व्यापक श्रेणी की अभिरुचियाँ हैं। समीक्षा वर्ष के दौरान तीन नई कंपनियाँ एक्जिमिअस क्लब में शामिल हुई हैं।

सांस्थानिक संबद्धतायें

अंतरराष्ट्रीय संगठनों और अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ नेट वर्किंग का विस्तार करने की दृष्टि से बैंक ने डी ई आर के (फॉरिन ईकोनोमिक रिलेशन्स बोर्ड), टर्की; पी टी बैंक एक्सपोर (बी ई आर), इंडोनेशिया; बैंको मर्केन्टिल सी. ए.; वेनेज़ुएला; और हैटॅन नैशनल बैंक लिमिटेड, श्रीलंका; के साथ सहयोग करार और समझौता-ज्ञापन निष्पादित किये हैं। दि एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ चाइना के एक उच्चस्तरीय शिष्ट मंडल ने बैंक का दौरा अक्तूबर 2001 में किया था। कार्य स्तर की बैठकें हुई थीं जहाँ दोनों संस्थाओं के मध्य अनुभवों का आदान-प्रदान किया गया था। ऐसी अंतरराष्ट्रीय संबद्धतायें व्यापार और निवेश से संबंधित सूचना का आदान-प्रदान, संयुक्त-उपक्रम के भागीदारों का अभिनिर्धारण, संगोष्ठियों/कार्यशालाओं का आयोजन, संकाय का आदान-प्रदान तथा ऋण-व्यवस्थाओं को संपन्न करना सुगम बनाती हैं।

एक्जिम बैंक ने यू टी आइ बैंक लिमिटेड के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये, जिसका उद्देश्य निर्यात, निर्यात-उन्मुख इकाइयों को सह वित्तपोषण करना है। इसके अतिरिक्त लघु एवं मध्यम-आकार विदेश उन्मुख इकाइयों के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को समर्थन देने के लिए मूल्य योजित सेवाएँ उपलब्ध कराना है।

एडफिएप डिवेलपमेंट अवार्ड 2002

दि एसोसिएशन ऑफ डिवेलपमेंट फाइनांसिंग इंस्टिट्यूशन्स इन एशिया एण्ड पैसेफिक (एडफिएप) ने अपनी 25 वीं वर्षगांठ के अवसर पर वर्ष 2002 से शुरू करते हुए एडफिएप अवार्ड्स की स्थापना की है। इस पुरस्कार के अधीन एडफिएप अपनी ऐसी सदस्य संस्थाओं को मान्यता प्रदान करते हुए सम्मानित करता है जिन्होंने श्रेष्ठ तथा नवोन्मेषी विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित किया है या उनमें संवृद्धि की है।

व्यापार विकास वर्ग के अधीन बैंक, इस पुरस्कार का विजेता है। यह पुरस्कार बैंक को वित्तपोषण कार्यक्रम/सुविधा के विकास के लिए प्रदान किया गया है जिसने अपने निर्यातों के विकास, संवर्धन और उनको सहारा देने की सहायता की है।

क्षेत्रीय सहयोग के जरिये एशियाई व्यापार का विस्तार

बैंक ने, अक्तूबर 2001 में, सिओल कोरिया में, एक्जिम बैंक ऑफ कोरिया द्वारा आयोजित एशियाई निर्यात ऋण एजेंसियों की सातवीं वार्षिक बैठक में भाग लिया। निर्यात ऋण एजेंसियों के प्रतिनिधि जो भारत, चीन, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, फिलीपीन्स और थाइलैंड से आए थे, ने बैठक में भाग लिया। बैठक में एशियाई विकास बैंक के प्रेक्षक भी उपस्थित थे। बैठक का आयोजन, एशियाई निर्यात ऋण एजेंसियों के दीर्घावधिक संबंधों को विकसित करने तथा आपसी क्षेत्रीय व्यापार के जरिये वित्तीय सहयोग को सुदृढ़ करने के तरीकों पर विचार-विमर्श करने के प्रयोजन से किया गया था।

संरचित ढंग से सूचना के विनिमय तथा विचारों के आदान प्रदान करने के लिए एशियाई निर्यात ऋण एजेंसियों की वार्षिक बैठक के आयोजन की पहल, मूल रूप से भारतीय एक्जिम बैंक ने की थी, जिसने भारत में, फरवरी 1996 में बंगलूर में तथा जून 1996 में मुंबई में, प्रथम दो बैठकों का आयोजन किया था। तब से अब यह एक वार्षिक आयोजन बन गया है जिसका आयोजन क्रमवार एक निर्यात ऋण एजेंसी द्वारा किया जाता है। पहली दो बैठकों के बाद पिछली वार्षिक बैठकें टोक्यो (1997) में, बीजिंग (1998) में, बाली (1999) में और बैंकाक (2000) में संपन्न हुई थी।

VI. संवर्धनात्मक कार्यक्रम

परामर्श सहायता कार्यक्रम

अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम वाशिंग्टन, डी.सी. के तकनीकी सहायता कार्यक्रम तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के अधीन बैंक ने विकासशील देशों के निजी क्षेत्र के लघु और मध्यम उद्यमों के लिए परामर्श सेवायें प्रदान करने हेतु भारतीय परामर्शदाताओं का प्रायोजन करने और उनका आंशिक वित्तपोषण करने की व्यवस्था की है। समीक्षा वर्ष के दौरान, बैंक ने अफ्रीकी परियोजना विकास सुविधा, मीकांग परियोजना विकास सुविधा, अफ्रीकी प्रबंधन सेवा कंपनी, भारत सरकार और अफ्रीकी विकास बैंक का सहयोग करार और समुद्रपारीय निष्पादन सेवा कार्यक्रम के अधीन विभिन्न परियोजनाओं के लिए दस भारतीय परामर्शदाता प्रायोजित किये हैं। ये परामर्शदाता ऐसे विभिन्न सुपुर्द

नियत कार्य के लिए चुने गये हैं जो बांग्लादेश, बोस्निया, घाना, केन्या, नामीबिया, नाइजीरिया, स्वाज़ीलैंड और वियतनाम में, आवासीय वित्त, रस उत्पादन, औषधि निर्माण संबधी द्रव्यों, व्यापार गृह, काजू गिरी के प्रसंस्करण और प्रबंधन सूचना प्रणाली जैसे क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न सुपुर्द नियत कार्यों के लिए हैं।

समीक्षा वर्ष के दौरान बैंक के दो अधिकारियों ने, बोस्निया और वियतनाम में परामर्शदात्री सुपुर्द नियत कार्यों नामत: बोस्निया में, एक बोस्नियाई औषधीय कंपनी की दीर्घावधि विपणन एवं विज्ञापन रणनीति का विकास संबंधी कार्य तथा वियतनाम में एक बैंक के आइ टी सिस्टम की समीक्षा संबंधी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया था।

एक्जिमिअस ज्ञान केन्द्र

समीक्षा वर्ष के दौरान एक्जिमिअस ज्ञान केन्द्र, बंगलूर ने तेईस कार्यक्रम आयोजित किये हैं। इन कार्यक्रमों में पाँच देश विशिष्ट में व्यवसाय के अवसर विषयक सेमिनार थे जो बेल्जियम, बोट्स्वाना, दक्षिण अफ्रीका, आस्ट्रेलिया और न्यू ज़ीलैंड जैसे देशों के विषय में थे। केन्द्र ने निम्नलिखित विषयक सात कार्यशालाओं का आयोजन किया था : हाऊ टू विन कन्सल्टेंसी कांट्रेक्ट्स इन एशियन डिवेलपमेंट बैंक फण्डेड प्रोजेक्ट्स; ए प्रैक्टिकल गाइड टू आइ टी एक्सपोर्ट्स इन यूरोप; स्किल डिवेलपमेंट फॉर इंडियन आइ टी इंडस्ट्रीज़; ग्लोबल सर्टीफिकेशन सिस्टम्स एण्ड स्कीम्स; फॉरिन करेंसी रिस्क मैनेजमेंट; पैकेजिंग प्रिज़र्वेशन ऑफ फूड प्रॉडॅक्ट्स; एण्ड स्ट्रक्चरिंग टैक्स एफिशियंट ज्वाइंट वेंचर्स एण्ड टेक्नीकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स। केन्द्र ने, भारतीय इंजीनियरी सामान जिनका निर्यात गंतव्य यूरोप है, के लिए विपणन रणनीति विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक शृंखला, सी बी आइ, नीदरलैंड्स के सहयोग से मुंबई, पुणे, नई दिल्ली तथा कोलकाता में आयोजित की। केन्द्र द्वारा अनेक स्थलों पर संचालित अन्य सेमिनारों में - कस्टमाइज़्ड सोल्यूशन्स फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स - फैक्टरिंग और फॉरफेटिंग; तथा आइ टी इनेबल्ड सर्विसेज : ऑपार्च्युनिटीज़ इन आस्ट्रेलिया शामिल हैं।

व्यवसाय उत्कृष्टता का पुरस्कार

एक्जिम बैंक ने भारतीय उद्योग महासंघ के सहयोग से किसी भारतीय कंपनी द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम तकनीकी गुणवत्ता प्रबंधन (टी क्यू एम) कार्यप्रणालियों के लिए व्यवसाय उत्कृष्टता का वार्षिक पुरस्कार प्रदान करना प्रारंभ किया है। यह पुरस्कार यूरोपियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट अवार्ड के मॉडल पर आधारित है। वर्ष 2001 में किसी भी कंपनी का कार्य निष्पादन पुरस्कार के लिए अपेक्षित स्तर पर नहीं पहुँच पाया है। एक कंपनी नामत: इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि के लिए प्रमाणपत्र प्रदान किया गया। तीन कंपनियों, नामत: भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि., त्रिची; जे. के. टायर्स, और रेकेम आर पी जी को व्यवसाय उत्कृष्टता की दिशा में उनकी यात्रा में तकनीकी गुणवत्ता प्रबंधन के प्रति उनकी सुदृढ़ प्रतिबद्धता के लिए प्रशस्ति प्रमाणपत्र प्रदान किये गये हैं।

VII. सूचना प्रौद्योगिकी

बैंक ने, सूचना की बेहतर सहभागिता के लिए तथा सिस्टम इंटेलिजेंस क्षमताओं में वृद्धि करने के अपने प्रमुख उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ज्ञान प्रबंधन टूल्स के उपयोग में वृद्धि की पहलों को करना जारी रखा है।

कार्यप्रवाहों को सुगम बनाने के लिए तथा प्रक्रियाओं पर बल दिया गया है। वर्ष के दौरान, एक उन्नत इलेक्ट्रॉनिक व्यापार वित्त खज़ाना और आस्ति देयता प्रबंधन सिस्टम की स्थापना के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं। ये सिस्टम कस्टमाइजेशन के अंतिम चरण में हैं तथा इंटिग्रेटिड सिस्टम के इंटरफेस के साथ कार्यान्वित किये जाने हैं।

वैब प्रौद्योगिकी

बैंक के वर्तमान वैबसाइट (www.eximbankidia.com) के स्थान पर ग्राहक सेवा, निगमित वेबमेल, इंटरएक्टिव एफ ए क्यूज़ के साथ एक निगमित पोर्टल विकसित किया जा रहा है।

बैंक की कृषि व्यवसाय संबंधी पहलों को सुसज्जित करने के लिए बैंक एक कृषि पोर्टल स्थापित करने की प्रक्रिया में है। यह कार्य, ज्ञान-आधारित कृषि उद्यम संवर्धन करने की सूचना प्रौद्योगिकी की पहल है। पोर्टल का विकास, संस्था के अंदर ही किया जा रहा है। पोर्टल का उद्देश्य कृषि और सहायक कार्यकलापों पर प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से ली गई सूचना पर एक विश्वसनीय सूचना आधार विकसित करना है जिसका संकेन्द्रण मूल्य-योजन तथा भौगोलिक बाज़ार पहुँच का विस्तार करना है। उक्त पोर्टल निर्यात बाज़ारों, कृषि उत्पादों, मामलों के अध्ययन, आर्गेनिक फार्मिंग, आयोजन, विश्व व्यापार संगठन से संबंधित उपयोगी संबद्धताओं एवं सूचनाओं पर सूचना एवं सलाहकारी सेवाएँ उपलब्ध करायेगा।

VIII. शोध एवं विश्लेषण

बैंक ने 1989 में 'अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र और संबंधित वित्तपोषण' के क्षेत्र में शोध के लिए वार्षिक पुरस्कार प्रारंभ किया था। इसका उद्देश्य अर्थशास्त्र और संबंधित वित्तपोषणों में भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा भारत और विदेश स्थित विश्वविद्यालयों तथा अकादमीय संस्थाओं में शोध का संवर्धन करना है। इस पुरस्कार में एक लाख रुपये की राशि और एक प्रशस्तिपत्र शामिल है। वर्ष 2001 के पुरस्कार के विजेता, स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका के डा. साजिद चिनॉय हैं जिनका शोध प्रबंध का विषय, "करेन्सी रिस्क प्रीमिया एण्ड अन्हैज्ड फॉरिन करेन्सी बोरोइंग इन एमर्जिंग मार्केट्स" है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने सात प्रासंगिक आलेख प्रकाशित किये हैं। जिनके विषय निम्नलिखित हैं : मशीन टूल्स: ए सेक्टर स्टडी; एग्रो एण्ड प्रोसेस्ड फूड्स: ए सेक्टर स्टडी; करेंसी रिस्क प्रीमिया एण्ड अन्हैज्ड फॉरिन करेंसी बोरोइंग इन एमर्जिंग मार्केट्स; मर्कोसुर: ए गेटवे टू लैटिन अमेरीकन कंटरीज़; इंडियन सिल्क इण्डस्ट्री : ए सेक्टर स्टडी; सिलेक्ट कोमेसा कंट्रीज़ : ए स्टडी ऑफ इंडियाज़ ट्रेड एण्ड इंवेस्टमेंट पोटेंशियल; और श्रीलंका : ए स्टडी ऑफ इंडियाज़ ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने 'बिज़नेस प्रेक्टिसिज़ ऑफ सक्सेसफुल इंडियन एक्सपोर्टर्स' शीर्षक से एक पुस्तक का भी प्रकाशन किया। पुस्तक में निहित विषय वस्तु का यह अध्ययन देशभर में 21 स्थानों में फैली हुई 138 प्रमुख फर्मों के नमूनों पर आधारित है। यह अध्ययन भारतीय निर्यातकों के चयनित क्षेत्रों में प्राप्त सफलता के कारणों पर प्रकाश डालता है तथा उनके द्वारा अपनायी गई व्यवसाय पद्धतियों का निरूपण करता है।

IX. मानव संसाधन प्रबंधन

31 मार्च 2002 को बैंक के कुल कर्मचारियों की संख्या 163 थी जिसमें ऐसे 110 व्यवसायिक कर्मचारी शामिल हैं जिनके अंतर्गत इंजीनियर, अर्थशास्त्री, बैंकर, सनदी लेखाकार, व्यवसाय शालाओं के स्नातक, विधिक और भाषा विशेषज्ञ, पुस्तकालय और प्रलेखन विशेषज्ञ, कार्मिक तथा कम्प्यूटर विशेषज्ञ आते हैं। इस व्यवसायिक दल की सहायता प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की जाती है। बैंक का यह उद्देश्य है कि वह अपने अधिकारियों के कौशलों का निरंतर कोटि उन्नयन करे। 2001-02 के दौरान 125 अधिकारियों ने, बैंक के परिचालनों से संबद्ध विविध विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सेमिनारों में भाग लिया। इन कार्यक्रमों में परियोजना मूल्यांकन, जोखिम विश्लेषण और निगरानी, अनुपयोज्य आस्तियों का प्रबंधन और वसूली रणनीति, विदेशी मुद्रा और खज़ाना प्रबंधन, ऋण जोखिम प्रबंधन, आस्ति-देयता प्रबंधन के माध्यम और तकनीकें, कृषि क्षेत्र को ऋणों में वृद्धि/सुधार के लिए रणनीतियाँ, बागवानी उत्पादों का कटाई के बाद का प्रबंधन, कम्प्यूटर साक्षरता का कोटि उन्नयन, परियोजना पर्यवेक्षण और उपचारी प्रबंधन, संगठन और मानव संसाधन प्रबंधन, निवेश परियोजनाओं का वित्तीय और आर्थिक मूल्यांकन और परियोजना वित्त में ऋण विश्लेषण और जोखिम आस्ति प्रबंधन, कार्यक्रम शामिल हैं।

X. राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में प्रगति

शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग की गति में तेज़ी लाने के बैंक के प्रयासों को विभिन्न प्राधिकरणों से मान्यता प्राप्त हुई है : (i) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के तत्त्वावधान में गठित बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मुंबई ने एक्ज़िम बैंक के प्रधान कार्यालय को वर्ष 2000-01 में सभी वित्तीय संस्थाओं में से हिन्दी कार्यान्वयन के सराहनीय निष्पादन हेतु चौथी बार प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है, (ii) राज्य स्तरीय बैंकर समिति (राजभाषा) ने वर्ष 2000-2001 में समस्त वित्तीय संस्थाओं में से बैंक के प्रधान कार्यालय के सराहनीय कार्य निष्पादन के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है। (iii) बैंक के कोलकाता कार्यालय ने बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, कोलकाता की ओर से वर्ष 2000-01 के दौरान हिन्दी के कार्यान्वयन के सर्वोत्तम निष्पादन के लिए श्रेष्ठता प्रमाणपत्र प्राप्त किया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने के प्रयासों को जारी रखा है। संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति ने नवम्बर 2001 में हिन्दी के कार्यान्वयन की समीक्षा की। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने हिन्दी के उपयोग को बढ़ाने विषयक संसदीय समिति को दिये गये आश्वासनों को पूरा करने के उपायों की शुरुआत की है।

बैंक के अधिकारियों को हिन्दी में टिप्पण और प्रारूप लेखन में प्रशिक्षण देने के प्रयोजन से उन्नीस हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है। बैंक के

अधिकारियों को अपने दैनिक कार्य में हिन्दी का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रोत्साहन प्रदान करने की एक योजना बैंक में लागू है । इस योजना के अंतर्गत तीन अधिकारियों को पुरस्कार प्रदान किये गये हैं । राजभाषा नीति का अनुपालन और सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए तथा वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जाँच-बिंदु बनाये गये हैं ।

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के उपबंधों के अनुपालन में परिपत्र, प्रेस-विज्ञप्तियाँ और रिपोर्टें हिंदी और अंग्रेजी में जारी की गई हैं । ऋण करारों का हिंदी में अनुवाद किया गया है । हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर भी हिन्दी में दिए गए हैं । बैंक के परिचालनों और क्रियाविधि संबंधी साहित्य के अतिरिक्त, बैंक के स्थापना दिवस के वार्षिक व्याख्यान और प्रासंगिक आलेख हिंदी में प्रकाशित किये गये हैं ।

सरकार के निदेशों के अनुसरण में 01 सितम्बर, 2001 से प्रारंभ होनेवाला हिंदी पखवाड़ा, प्रधान कार्यालय में मनाया गया है । इस उत्सव के एक अंग के रूप में एक हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था । बैंक के त्रैमासिक प्रकाशन एक्जिमिअस : एक्सपोर्ट एडवांटेज का हिन्दी रूपांतर 'एक्जिमिअस : निर्यात लाभ' शीर्षक के अधीन प्रकाशित किया गया है ।

बैंक की गृह पत्रिका 'एक्जिमिअस' में हिंदी खंड होता है । सितम्बर 2001 को समाप्त तिमाही के लिए एक्जिमिअस पत्रिका का हिंदी विशेषांक प्रकाशित किया गया है । एक्जिमिअस के राजभाषा विशेषांक की हिंदी में सर्वोत्तम तीन रचनाओं के रचनाकार अधिकारियों को नकद पुरस्कार प्रदान किये गये हैं ।

हिंदी के प्रगामी प्रयोग विषयक सरकार की नीति के अनुसरण में और वर्ष 2001-02 के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बैंक के पुस्तकालय को अंतरराष्ट्रीय व्यापार वित्त तथा अन्य विषयों के साथ-साथ शास्त्रीय विषयों तथा समसामयिक साहित्य से समृद्ध बनाया गया है । बैंक में हिन्दी के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति किये जाने की प्रगति की समीक्षा करने के प्रयोजन से प्रधान कार्यालय और अन्य कार्यालयों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें तिमाही अंतरावधियों में आयोजित की गई हैं ।

XI. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व

31 मार्च 2002 को अपने 163 कर्मचारियों की कुल संख्या वाले बैंक में 20 अनुसूचित जाति, 11 अनुसूचित जनजाति और 9 अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारी सदस्य हैं । बैंक ने इन कर्मचारी सदस्यों को कम्प्यूटरों और अन्य क्षेत्रों का प्रशिक्षण प्रदान किया है । बैंक ने भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली और भारतीदासन प्रबंधन संस्थान, तिरुचिरापल्ली के अनुसूचित जाति और जन जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान करना जारी रखा है ।

आभार प्रदर्शन

बैंक ने व्यापार और निवेश के संवर्धन में लगी एजेंसियों के साथ योजनाबद्ध रूप में निर्मित और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार के उपयोगी संबंध विकसित किये हैं । बैंक के कार्य में भारतीय उद्योग महासंघ, भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल महासंघ (फिक्की), एस्सोचेम, राष्ट्रीय कम्प्यूटर और सेवा कंपनी संघ (नैस्सकाम), फिओ, इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद (ई ई पी सी), इंडो-ई यू चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, अन्य निर्यात संवर्धन परिषदों तथा विभिन्न केन्द्रों के वाणिज्य मंडल एवं आर्थिक शोध संस्थान, जानकारी और सहायता के

गृह पत्रिका प्रतियोगिता में हिन्दी के प्रयोग के लिए, डा. बिमल जालान, गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक से, बैंक ने प्रशंसा पत्र प्राप्त किया ।

महत्त्वपूर्ण स्रोत रहे हैं। बैंक ने उद्योग, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय निर्यात ऋण-गारंटी निगम लिमिटेड, भारत सरकार के मंत्रालयों, विशेषकर अपने मूल वित्त मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा विदेशों के भारतीय दूतावासों के साथ की पारस्परिक प्रतिक्रिया से निर्यातों की सहायता करने के अपने प्रयासों में शक्ति और महत्त्व प्राप्त किया है। बैंक सभी बहुदेशीय एजेंसियों, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समुदाय और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को उनके द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता है।

बैंक के कर्मचारियों ने व्यवसाय संवृद्धि और नई पहलों के अनुष्ठान में, प्रतिबद्धता और समर्पण का उच्च स्तर प्रदर्शित किया है। बैंक की सहभागितापूर्ण और व्यवसायिक कार्य संस्कृति, बैंक के लिए शक्ति का निरंतर स्त्रोत रही है।

निदेशक मंडल

समीक्षा वर्ष के दौरान, मंडल में परिवर्तन हुए हैं। मंडल के निदेशक के रूप में श्री. दीपक चटर्जी, सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, श्री शशांक, सचिव (ई आर), विदेश मंत्रालय, श्री वी. गोविंदराजन, सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, श्री एस. एल. परमार, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, श्री पी. पी. वोरा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, श्री आर. वी. शास्त्री, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, केनरा बैंक, श्री एस. सी. बसु, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, डा. पुलिन बी. नायक, प्रोफेसर, अर्थशास्त्र, दिल्ली स्कूल ऑफ ईकोनोमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय, डा. एस. चन्द्रा, प्रबंधन परामर्शदाता, पैन एशियन मैनेजमेंट फाउंडेशन, नई दिल्ली, डा. विनयशील गौतम, प्रोफेसर, प्रबंधन विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली और डा. बुद्धाजीराव आर. मुलिक, वाइस प्रेसिडेंट, एशियन एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, पुणे, को नियुक्त किया गया है। श्री पी. जी. मांकड, सचिव औद्योगिक नीति एवं संवर्धन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, श्री प्रबीर सेनगुप्ता, सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, श्री आर. एस. कल्हा, सचिव (पश्चिम), विदेश मंत्रालय, श्री डी. पी. सरडा, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, अपनी पदावधि पूर्ण हो जाने पर अथवा अपने पद में परिवर्तन होने के फलस्वरूप एक्ज़िम बैंक के निदेशकों के रूप में अपने पद त्याग दिये हैं। मंडल, निदेशक के रूप में दिये गये उनके अमूल्य योगदानों के लिए बैंक उनके प्रति आभार प्रदर्शित करता है। मंडल के सदस्यों द्वारा बैंक के प्रयासों को उत्सुकता से समर्थन और प्रोत्साहित किया गया है।

अगस्त 1997 से बैंक के प्रबंध निदेशक, श्री. वाइ. बी. देसाई, ने 30 अप्रैल 2001 से, उक्त पद त्याग दिया है। मंडल, उनके योगदानों के लिए तथा उनसे बैंक को हुए अमूल्य लाभ के लिए उनकी भारी प्रशंसा करता है।

बैंक ने, एडफिएप के सेक्रेटरि जनरल डा. ओलांडो पेनिया, की उपस्थिति में, एडफिएप निदेशक मंडल के चेअरमैन श्री एसौवा क्लोमैरा से एडफिएप ट्रेड डिवेलपमैंट अवार्ड प्राप्त किया।

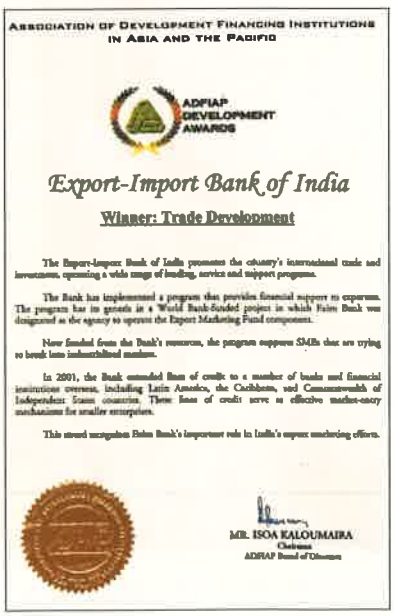
ASSOCIATION OF DEVELOPMENT FINANCING INSTITUTIONS IN ASIA AND THE PACIFIC

ADFIAP DEVELOPMENT AWARDS

Export-Import Bank of India

Winner: Trade Development

The Export-Import Bank of India promotes the country's international trade and investments, operating a wide range of lending, service and support programs.

The Bank has implemented a program that provides financial support to exporters. The program has its genesis in a World Bank-funded project in which Exim Bank was designated as the agency to operate the Export Marketing Fund component.

Now funded from the Bank's resources, the program supports SMEs that are trying to break into industrialized markets.

In 2001, the Bank extended lines of credit to a number of banks and financial institutions overseas, including Latin America, the Caribbean, and Commonwealth of Independent States countries. These lines of credit serve as effective market-entry mechanisms for smaller enterprises.

This award recognizes Exim Bank's important role in India's export marketing efforts.

MR. ISOA KALOUMAIRA
Chairman
ADFIAP Board of Directors

तुलन-पत्र
यथा 31 मार्च, 2002 को
एवं
2001-02 का
लाभ और हानि लेखा

श्री यशवन्त सिन्हा, केन्द्रीय वित्त मंत्री महोदय को वर्ष 2000-01 का लाभांश चेक भेंट करते हुए।

तुलन-पत्र

यथा 31 मार्च, 2002 को

देयताएँ

		अनुसूचियाँ	इस वर्ष (यथा 31.03.2002 को) रुपये	गत वर्ष (यथा 31.03.2001 को) रुपये
1.	पूँजी	I	6,499,918,881	5,499,918,881
2.	आरक्षित निधियाँ	II	12,026,412,246	10,663,800,021
3.	लाभ और हानि लेखा	III	420,000,000	380,000,000
4.	नोट, बाँड एवं डिबेंचर		33,158,105,018	22,914,915,470
5.	देय बिल		–	–
6.	जमा राशियाँ	IV	3,416,000,000	2,797,200,000
7.	उधार राशियाँ	V	16,619,145,938	20,254,662,765
8.	चालू देयताएँ एवं प्रावधान		9,185,255,542	7,979,845,440
9.	अन्य देयताएँ		1,408,703,116	3,490,749,521
10.	संभावित ऋण हानियों के लिए आरक्षित निधि		–	–
	योग		82,733,540,741	73,981,092,098

आकस्मिक देयताएँ

(i)	स्वीकृतियाँ, गारंटियाँ, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्व	11,273,281,000	10,739,964,000
(ii)	वायदा विनिमय संविदाओं की बकाया राशियों पर	–	–
(iii)	हामीदारी वचनबद्धताओं पर	–	50,000,000
(iv)	अंशत: प्रदत्त निवेशों पर अनाहूत देयताएँ	14,640,000	13,986,000
(v)	बैंक पर दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	–	–
(vi)	संग्रहण के लिए बिल	–	–
(vii)	सहभागिता प्रमाणपत्रों पर	–	–
(viii)	भुनाये गये / पुन: भुनाये गये बिल	–	–
(ix)	अन्य राशियाँ जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है	19,590,000	32,781,000
	योग	11,307,511,000	10,836,731,000

सामान्य निधि

आस्तियाँ

		अनुसूचियाँ	इस वर्ष (यथा 31.03.2002 को) रुपये	गत वर्ष (यथा 31.03.2001 को) रुपये
1.	नकदी एवं बैंक शेष	VI	2,995,374,533	6,487,520,783
2.	निवेश	VII	9,919,765,964	7,747,909,237
3.	ऋण एवं अग्रिम	VIII	66,102,416,362	56,443,054,454
4.	खरीदे गये, भुनाये गये, पुन: भुनाये गये बिल	IX	–	–
5.	अचल आस्तियाँ	X	504,734,438	355,143,511
6.	अन्य आस्तियाँ	XI	3,211,249,444	2,947,464,113
7.	लाभ और हानि लेखा		–	–
	योग		82,733,540,741	73,981,092,098

एस. श्रीधर
कार्यपालक निदेशक

आर. एम. वी. रामन
कार्यपालक निदेशक

टी. सी. वेंकट सुब्रमणियन
प्रबंध निदेशक

दीपक चटर्जी **शशांक** **शेखर अग्रवाल**
एस. एल. परमार **जानकी बल्लभ**
डॉ. एस. चंद्रा **डॉ. विनयशील गौतम** **डॉ. बुधाजीराव मुलिक**
निदेशक

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **जी. पी. घोष एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार

जी. पी. घोष
साझेदार

मुम्बई,
दिनांक : 27 अप्रैल, 2002

लाभ और हानि लेखा

यथा 31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए

व्यय

		इस वर्ष	गत वर्ष
		रुपये	रुपये
1.	ब्याज	4,257,052,997	4,519,830,811
2.	ऋण बीमा (गारंटी फीस सहित)	38,944,163	37,355,693
3.	स्टाफ़ के वेतन, भत्ते आदि और सेवांत लाभ	57,902,454	73,439,552
4.	निदेशकों एवं समिति के सदस्यों की फीस तथा व्यय	429,941	168,518
5.	लेखा परीक्षा की फ़ीस	200,000	200,000
6.	भाड़ा, कर, बिजली एवं बीमा प्रीमियम	43,591,321	40,465,745
7.	डाक व्यय, तार एवं टेलेक्स	14,514,854	15,998,547
8.	विधि विषयक व्यय	11,935,572	3,439,075
9.	अन्य व्यय	139,828,708	158,243,212
10.	मूल्यह्रास	60,313,847	38,108,207
11.	संभावित ऋण हानियों के लिए आरक्षित राशि में अंतरित	–	–
12.	तुलन-पत्र को ले जाया गया लाभ	2,211,573,566	2,046,951,174
	योग	6,836,287,423	6,934,200,534
	आयकर के लिए प्रावधान	500,000,000	505,500,000
	तुलन-पत्र में अंतरित शेष लाभ	1,711,573,566	1,541,451,174
		2,211,573,566	2,046,951,174

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हमने भारतीय निर्यात-आयात बैंक के यथा 31 मार्च 2002 को सामान्य निधि के तुलन-पत्र का तथा उससे संलग्न उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की सामान्य निधि के लाभ और हानि लेखा का भी लेखा परीक्षण किया है और हम यह प्रतिवेदन करते हैं कि :

1. हमने अपनी श्रेष्ठतम जानकारी और विश्वास के अनुरूप अपने लेखा परीक्षण के उद्देश्य के लिए सभी आवश्यक सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किये और उन्हें संतोषजनक पाया है।
2. हमारी राय में, तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा, भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 तथा उसके अंतर्गत बनाये गये विनियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप समुचित रूप से तैयार किए गये हैं।
3. हमारी राय में तथा हमारी श्रेष्ठतम जानकारी में और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त तुलन-पत्र एक पूर्ण तथा सही तुलन-पत्र है जिसमें सभी आवश्यक विवरणों का समावेश है और जिसे यथा 31 मार्च 2002 को बैंक की सामान्य निधि के क्रियाकलापों को सत्य एवं समुचित रूप से प्रदर्शित करने हेतु यथा विधि तैयार किया गया है।

कृते **जी. पी. घोष एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार

जी. पी. घोष
साझेदार

मुम्बई,
दिनांक : 27 अप्रैल, 2002

सामान्य निधि

आय

	इस वर्ष	गत वर्ष
	रुपये	रुपये
(वर्ष के दौरान अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए किये गये प्रावधानों तथा अन्य सामान्य व आवश्यक प्रावधानों को घटाकर)		
1. ब्याज और बट्टा	6,008,494,756	6,739,509,727
2. विनिमय, कमीशन, दलाली और फीस	694,852,610	179,315,960
3. अन्य आय	132,940,057	15,374,847
4. तुलन-पत्र को ले जायी गयी हानि	–	–
योग	6,836,287,423	6,934,200,534
लाभ, नीचे लाया गया	2,211,573,566	2,046,951,174
पूर्ववर्ती वर्षों की आधिक्य आय / ब्याज प्रावधान का प्रतिलेखन	–	–
	2,211,573,566	2,046,951,174

टिप्पणी : 1. अन्य व्यय में, निर्यात संवर्धन व्यय - 7,126,762 रुपये (गत वर्ष 27,014,064 रुपये) शामिल हैं।
2. आय में, खज़ाना परिचालनों, निवेशों तथा बैंक जमा राशियों के कारण प्राप्त 1.62 बिलियन रुपये (गत वर्ष 1.87 बिलियन रुपये) शामिल हैं।

एस. श्रीधर
कार्यपालक निदेशक

टी. सी. वेंकट सुब्रमणियन
प्रबंध निदेशक

आर. एम. वी. रामन
कार्यपालक निदेशक

दीपक चटर्जी **शशांक** **शेखर अग्रवाल**
एस. एल. परमार **जानकी बल्लभ**
डॉ. एस. चंद्रा **डॉ. विनयशील गौतम** **डॉ. बुधाजीराव मुलिक**
निदेशक

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **जी. पी. घोष एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार

जी. पी. घोष
साझेदार

मुम्बई,
दिनांक : 27 अप्रैल, 2002

तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

यथा दिनांक 31 मार्च, 2002 को

		इस वर्ष (यथा 31.03.2002 को)	गत वर्ष (यथा 31.03.2001 को)
		रुपये	रुपये
अनुसूची I :	**पूँजी :**		
	1. प्राधिकृत	10,000,000,000	10,000,000,000
	2. निर्गमित एवं प्रदत्त :		
	(केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णत: अभिदत्त)	6,499,918,881	5,499,918,881
अनुसूची II :	**आरक्षित :**		
	1. आरक्षित निधि	9,467,981,682	8,801,669,457
	2. सामान्य आरक्षित राशियाँ	–	–
	3. अन्य आरक्षित राशियाँ :		
	गारंटी व पुनर्वित कार्यक्रम के लिए आरक्षित राशि	–	72,500,000
	निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि	415,211,500	265,211,500
	ऋण शोधन निधि (ऋण-व्यवस्थाएँ)	433,219,064	394,419,064
	4. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन विशेष प्रारक्षित राशि	1,710,000,000	1,130,000,000
		12,026,412,246	10,663,800,021
अनुसूची III :	**लाभ और हानि लेखा :**		
	1. परिशिष्ट में उल्लिखित लेखा के अनुसार शेष	1,711,573,566	1,541,451,174
	2. घटाकर : विनियोजन :		
	- आरक्षित निधि को अंतरित	522,773,566	718,892,703
	- निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि को अंतरित	150,000,000	5,791,000
	- ऋण शोधन निधि को अंतरित	38,800,000	40,887,471
	- आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि को अंतरित	580,000,000	310,000,000
	- लाभांश के जरिये वितरित लाभ पर कर के प्रावधान	–	85,880,000
	3. निवल लाभ का शेष (एक्जिम बैंक अधिनियम) 1981 की धारा 23(2) के अनुसार केन्द्रीय सरकार को अंतरणीय)	420,000,000	380,000,000
अनुसूची IV :	**जमा राशियाँ :**		
	(क) भारत में	–	–
	(ख) भारत के बाहर	3,416,000,000	2,797,200,000
		3,416,000,000	2,797,200,000
अनुसूची V :	**उधार राशियाँ :**		
	1. भारतीय रिज़र्व बैंक से :		
	(क) न्यासी प्रतिभूतियों पर	–	–
	(ख) विनिमय बिलों पर	–	–
	(ग) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि से	–	6,170,000,000
	2. भारत सरकार से	123,000,002	139,333,335
	3. अन्य स्रोतों से :		
	(क) भारत में	–	–
	(ख) भारत के बाहर	16,496,145,936	13,945,329,430
		16,619,145,938	20,254,662,765
अनुसूची VI :	**नकदी एवं बैंक में शेष :**		
	1. हाथ में नकदी	276,417	249,825
	2. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष	3,709,929	246,664
	3. अन्य बैंकों में शेष :		
	(क) भारत में	153,377,839	823,888,360
	(ख) भारत के बाहर	2,438,010,348	4,483,335,934
	4. मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय धनराशि	400,000,000	1,179,800,000
		2,995,374,533	6,487,520,783

सामान्य निधि

		इस वर्ष (यथा 31.03.2002 को)	गत वर्ष (यथा 31.03.2001 को)
		रुपये	रुपये
अनुसूची VII :	**निवेश :**		
1.	केन्द्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियाँ	1,128,615,000	746,050,000
2.	ईक्विटी शेयर और स्टॉक	1,081,459,489	943,751,441
3.	अधिमान शेयर एवं स्टॉक	–	–
4.	नोट, डिबेंचर एवं बॉंड	3,421,051,475	2,789,467,796
5.	अन्य	4,288,640,000	3,268,640,000
		9,919,765,964	7,747,909,237
अनुसूची VIII :	**ऋण एवं अग्रिम :**		
1.	विदेशी सरकारें	486,761,906	814,419,788
2.	बैंक :		
	(क) भारत में	341,710,481	392,902,389
	(ख) भारत के बाहर	1,228,085,943	2,322,952,364
3.	वित्तीय संस्थाएं :		
	(क) भारत में	–	–
	(ख) भारत के बाहर	42,957,872	47,184,928
4.	अन्य	64,002,900,160	52,865,594,985
		66,102,416,362	56,443,054,454
अनुसूची IX :	**खरीदे गये, भुनाये गये तथा पुन: भुनाये गये बिल :**		
	(क) भारत में	–	–
	(ख) भारत के बाहर	–	–
		–	–
अनुसूची X :	**अचल आस्तियाँ :**		
	(लागत पर मूल्यह्रास घटाकर)		
1.	परिसर	441,158,804	321,002,142
2.	अन्य	63,575,634	34,141,369
		504,734,438	355,143,511
अनुसूची XI :	**अन्य आस्तियाँ :**		
1.	निवेशों तथा ऋणों पर उपचित ब्याज	1,127,480,517	1,483,938,139
2.	पूर्व प्रदत्त बीमा किस्त-भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि. को प्रदत्त	1,589,596	2,031,475
3.	विविध पक्षों के पास निक्षेप	5,345,768	5,309,755
4.	अन्य	2,076,833,563	1,456,184,744
		3,211,249,444	2,947,464,113

तुलन-पत्र

यथा 31 मार्च, 2002 को

देयताएँ

		इस वर्ष (यथा 31.03.2002 को)	गत वर्ष (यथा 31.03.2001 को)
		रुपये	रुपये
1.	ऋण :		
	(क) सरकार से	–	–
	(ख) अन्य स्रोतों से	–	–
2.	अनुदान :		
	(क) सरकार से	128,307,787	128,307,787
	(ख) अन्य स्रोतों से	–	–
3.	उपहार, दान, उपकृतियाँ :		
	(क) सरकार से	–	–
	(ख) अन्य स्रोतों से	–	–
4.	अन्य देयताएँ	39,247,318	27,905,318
5.	लाभ और हानि लेखा	129,947,802	113,547,705
	योग	297,502,907	269,760,810

आकस्मिक देयताएँ

(i)	स्वीकृतियाँ, गारंटियाँ, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्व	–	–
(ii)	वायदा विनिमय संविदाओं की बकाया राशियों पर	–	–
(iii)	हामीदारी वचनबद्धताओं पर	–	–
(iv)	अंशत: प्रदत्त निवेशों पर अनाहूत देयताएँ	–	–
(v)	बैंक पर दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	–	–
(vi)	संग्रहण के लिए बिल	–	–
(vii)	सहभागिता प्रमाणपत्रों पर	–	–
(viii)	भुनाये गये / पुन: भुनाये गये बिल	–	–
(ix)	अन्य राशियाँ जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है	–	–

टिप्पणी : एक्जिम बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 37 (जो अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान करती है कि निर्यात संवर्धन विकास निधि की कोई भी आय, लाभ अथवा उसमें प्रोद्भूत होनेवाले अभिलाभ अथवा इस निधि में जमा किये जाने के लिए प्राप्त राशि पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा), का वित्त (संख्या 2) अधिनियम 1998 द्वारा 1 अप्रैल 1999 से लोप किया गया है। एक्जिम बैंक को यह सूचित किया गया है कि, उक्त धारा चूँकि 31 मार्च 1999 तक प्रभावी थी अत: यह छूट, लेखा वर्ष 1998-99 की समाप्ति तक निधि को प्रोद्भूत अथवा उद्भूत आय के संबंध में उपलब्ध रहेगी। आयकर प्राधिकारियों ने कर निर्धारण आदेश भी पास किया था और एक्जिम बैंक ने इस मामले में अपने अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त वर्ष के लिए 6.62 मिलियन रुपये की अग्रिम कर की अदायगी भी कर दी थी। बैंक निर्धारण वर्ष 1999-2000 के लिए अदा किये गये कर की वापसी के लिए अनुवर्तन कर रहा है।

निर्यात संवर्धन निधि

आस्तियाँ

		इस वर्ष (यथा 31.03.2002 को)	गत वर्ष (यथा 31.03.2001 को)
		रुपये	रुपये
1.	बैंक शेष	255,015,272	239,932,491
2.	निवेश	–	–
3.	ऋण एवं अग्रिम		
	(क) भारत में	–	–
	(ख) भारत के बाहर	8,505,318	8,505,318
4.	खरीदे गये / भुनाये गये बिल :		
	(क) भारत में	–	–
	(ख) भारत के बाहर	–	–
5.	अन्य आस्तियाँ	33,982,317	21,323,001
6.	लाभ और हानि लेखा	–	–
	योग	297,502,907	269,760,810

एस. श्रीधर
कार्यपालक निदेशक

आर. एम. वी. रामन
कार्यपालक निदेशक

टी. सी. वेंकट सुब्रमणियन
प्रबंध निदेशक

दीपक चटर्जी **शशांक** **शेखर अग्रवाल**
एस. एल. परमार **जानकी बल्लभ**
डॉ. एस. चंद्रा **डॉ. विनयशील गौतम** **डॉ. बुधाजीराव मुलिक**
निदेशक

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **जी. पी. घोष एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार

जी. पी. घोष
साझेदार

मुम्बई,
दिनांक : 27 अप्रैल, 2002

लाभ और हानि लेखा

यथा 31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए

व्यय

		इस वर्ष	गत वर्ष
		रुपये	रुपये
1.	ब्याज	–	–
2.	अन्य व्यय	–	–
3.	तुलन-पत्र को ले जाया गया लाभ	25,506,097	24,893,895
	योग	25,506,097	24,893,895
	आयकर के लिए प्रावधान	9,106,000	9,900,000
	तुलन-पत्र में अंतरित शेष लाभ	16,400,097	14,993,895
	योग	25,506,097	24,893,895

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हमने भारतीय निर्यात-आयात बैंक की निर्यात संवर्धन निधि के यथा 31 मार्च 2002 के तुलन-पत्र का तथा उससे संलग्न उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की निर्यात संवर्धन निधि के लाभ और हानि लेखे का भी लेखा परीक्षण किया है और हम यह प्रतिवेदन करते हैं कि :

1. हमने अपनी श्रेष्ठतम जानकारी और विश्वास के अनुरूप अपने लेखा परीक्षण के उद्देश्य के लिए सभी आवश्यक सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किये और उन्हें संतोषजनक पाया है।
2. हमारी राय में, तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा, भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 तथा उसके अंतर्गत बनाये गये विनियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप समुचित रूप से तैयार किए गये हैं।
3. हमारी राय में तथा हमारी श्रेष्ठतम जानकारी में और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त तुलन-पत्र एक पूर्ण तथा सही तुलन-पत्र है जिसमें सभी आवश्यक विवरणों का समावेश है और जिसे यथा 31 मार्च 2002 को बैंक की निर्यात संवर्धन निधि के क्रियाकलापों को सत्य एवं समुचित रूप से प्रदर्शित करने हेतु यथा विधि तैयार किया गया है।

कृते **जी. पी. घोष एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार

जी. पी. घोष
साझेदार

मुम्बई,
दिनांक : 27 अप्रैल, 2002

निर्यात संवर्धन निधि

आय

		इस वर्ष	गत वर्ष
		रुपये	रुपये
(वर्ष के दौरान अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए किये गये प्रावधानों तथा अन्य सामान्य व आवश्यक प्रावधानों को घटाकर)			
1.	ब्याज और बट्टा	25,506,097	24,893,895
2.	विनिमय, कमीशन, दलाली और फीस	–	–
3.	अन्य आय	–	–
4.	तुलन-पत्र को ले जायी गयी हानि	–	–
	योग	25,506,097	24,893,895
	लाभ, नीचे लाया गया	25,506,097	24,893,895
	पूर्ववर्ती वर्षों की आधिक्य आय / ब्याज प्रावधान का प्रतिलेखन	–	–
	योग	25,506,097	24,893,895

एस. श्रीधर
कार्यपालक निदेशक

आर. एम. वी. रामन
कार्यपालक निदेशक

टी. सी. वेंकट सुब्रमणियन
प्रबंध निदेशक

दीपक चटर्जी **शशांक** **शेखर अग्रवाल**
एस. एल. परमार **जानकी बल्लभ**
डॉ. एस. चंद्रा **डॉ. विनयशील गौतम** **डॉ. बुधाजीराव मुलिक**
निदेशक

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **जी. पी. घोष एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार

जी. पी. घोष
साझेदार

मुम्बई,
दिनांक : 27 अप्रैल, 2002

लेखों की टिप्पणियाँ - सामान्य निधि

1. चूँकि भारतीय संविदाकारों से संबंधित कतिपय सौदों को सुगम बनाने के लिए एक्ज़िम बैंक केवल एक एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है अतएव बैंक को सूचित की गई 33,539,634,580 रुपये (पिछले वर्ष 32,029,361,549 रुपये) की तुल्य राशि की विदेशी मुद्रा की प्राप्य राशियाँ जो एजेंसी खाते में धारित थीं, जिसमें 27,773,531,219 रुपये की राशि, जो कि भारत सरकार को समनुदेशित थी, उपर्युक्त तुलन-पत्र में शामिल नहीं की गई है।

2. एक्ज़िम बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 37 (जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंधित था कि एक्ज़िम बैंक द्वारा व्युत्पन्न किसी भी लाभ अथवा अभिलाभ अथवा प्राप्त की गई किसी राशि पर कर नहीं लगाया जाएगा), 1 अप्रैल, 1999 से, वित्त (सं.2), अधिनियम, 1998 द्वारा निकाल दी गई है। एक्ज़िम बैंक को सूचित किया गया था कि चूँकि उक्त धारा 31 मार्च, 1999 तक लागू थी अतएव लेखा वर्ष 1998-99 के अंत तक उपचित होनेवाली अथवा उत्पन्न होनेवाली आय के लिए छूट उपलब्ध होगी। तथापि एक्ज़िम बैंक ने कराधान के लिए प्रावधान किया था तथा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि का निर्माण कर लिया है तथा उसने इस मामले में अपने अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त वर्ष के 792.2 मिलियन रुपये की कर की अदायगी भी कर दी थी और वह कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 के लिए अदा किये गये कर की वापसी के मामले का अनुवर्तन कर रहा है।

3. 31 मार्च 2002 को बकाया वायदा संविदाओं की राशि 315.2 मिलियन रुपये थी (पिछले वर्ष 173.3 मिलियन रुपये थी) और इन संविदाओं की पूरी तरह से बचाव-व्यवस्था कर ली गई है।

4. 31 मार्च 2002 को पूँजी

(क)	(i)	पूँजी से जोखिम आस्तियों का अनुपात (सी आर ए आर)	33.13%
	(ii)	पूँजी से जोखिम आस्तियों का महत्त्वपूर्ण अनुपात	31.77%
	(iii)	पूँजी से जोखिम आस्तियों का अनुपूरक अनुपात	1.36%

(ख) यथा 30 मार्च 2002 को, आर बी आइ - एन आइ सी - (एल टी ओ) निधि ऋण को आर बी आइ के खातों से सरकार के खाते में अंतरण किया गया है तथा बैंक द्वारा जारी किये गये 8% बांड 2022 में सरकार ने अभिदान किया है। ये बांड प्रतिभूति रहित हैं और बैंक द्वारा प्रदान की गई सभी उधार राशियों/जमाओं/अधीनस्थ कर्जों के मुकाबले क्रम-व्यवस्था में कनिष्ठ हैं और इनकी गुणवत्ता बैंक की स्तर I पूँजी के लिए होगी जो भारतीय रिज़र्व बैंक/सरकार द्वारा निर्धारित कतिपय शर्तों के अधीन होगी।

(ग) 31 मार्च 2002 को स्तर - II पूँजी के रूप में जुटाये गये और बकाया गौण ऋण की राशि : कुछ नहीं

(घ) यथा 31 मार्च 2002 को गारंटी-व-पुनर्वित्त कार्यक्रम के लिए आरक्षित निधि में 72.5 मिलियन रुपये की बकाया शेष राशि थी तथा स्टाफ़ कल्याण खाते में 71.04 मिलियन रुपये आरक्षित निधि के साथ विलयित किये गये हैं।

(ङ) जोखिमवाली आस्तियाँ :

(i) तुलन-पत्र की 'चालू (आन)' मदें : 65.98 बिलियन रुपये

(ii) तुलन-पत्र की 'बंद (आफ)' मदें : 6.68 बिलियन रुपये

(च) तुलन-पत्र की तारीख को शेयरधारिता का स्वरूप : भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व।

- *पूँजी से जोखिम आस्तियों का अनुपात और अन्य मानदंडों का निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय संस्थाओं के लिए निर्धारित पूँजी पर्याप्तता के मानदंडों के अनुसार किया गया है।*

5. 31 मार्च 2002 को आस्ति-गुणवत्ता और ऋण-संकेन्द्रण

(क) कुल शुद्ध ऋणों और अग्रिमों से शुद्ध अनुपयोज्य-आस्तियाँ का प्रतिशत : 7.38 (गत वर्ष 8.17)

(ख) निर्धारित आस्ति की वर्गीकरण-श्रेणियों के अधीन अनुपयोज्य-आस्तियों की राशि और प्रतिशत :

	राशि (बिलियन रुपये)	प्रतिशत
अवमानक आस्तियाँ	2.47	4.07
संदिग्ध आस्तियाँ	2.01	3.31
हानि आस्तियाँ	–	–
	4.48	7.38

(ग) इस वर्ष के दौरान निम्नलिखित मदों के लिए किये गये प्रावधान :

	राशि (मिलियन रुपये)
मानक आस्तियाँ	474.7
अनुपयोज्य-आस्तियाँ	592.7
निवेश (जो अग्रिम के स्वरूप को छोड़कर अन्य स्वरूप के हैं)	181.1
आयकर	500.0

(घ) शुद्ध अनुपयोज्य-आस्तियों की घट-बढ़ :

	राशि (बिलियन रुपये)
यथा 1 अप्रैल, 2001 को शुद्ध अनुपयोज्य-आस्तियाँ	4.07
2001-02 के दौरान नई अनुपयोज्य-आस्तियाँ	1.45
2001-02 के दौरान वसूलियाँ/कोटि उन्नयन	1.04
यथा 31 मार्च 2002 की शुद्ध अनुपयोज्य-आस्तियाँ	4.48

(ङ) अनुपयोज्य-आस्तियों (ऋण, बांड और अग्रिम के रूप में डिबेंचर और अंतर निगमित जमा राशियाँ शामिल करके) के लिए प्रावधान

(मानक आस्तियों के लिए प्रावधान को छोड़कर)

	राशि (बिलियन रुपये)
वित्तीय वर्ष के आरंभ में, प्रारंभिक जमा	4.78
जमा : वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	1.23
घटा : अतिरिक्त प्रावधान का बट्टे खाते डालना/पुनरांकन	0.63
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अंत शेष	5.38

(च) निवेशों में मूल्यह्रास के लिए प्रावधान :

	राशि (मिलियन रुपये)
वित्तीय वर्ष के आरंभ में प्रारंभिक जमा	60.1
जमा :	
i. वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान	181.1
ii. वर्ष के दौरान निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित लेखे से विनियोजन, यदि कोई हैं	कुछ नहीं
घटा :	
i. वर्ष के दौरान बट्टा खाता	कुछ नहीं
ii. निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित लेखे में अंतरण, यदि कोई हैं	कुछ नहीं
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अंत शेष	241.2

(छ) यथा 31 मार्च, 2002 को पुनर्संरचित मानक आस्तियाँ : 1.18 बिलियन रुपये (गत वर्ष 2.27 बिलियन रुपये) ।

(ज) यथा 31 मार्च 2002 की पुनर्संरचित अवमानक आस्तियाँ : 2.19 बिलियन रुपये (गत वर्ष 297.0 मिलियन रुपये) ।

(झ) प्रदान किया गया ऋण :

	पूँजी निधियों का प्रतिशत	प्रदान किये गये ऋण समायोजित योग का प्रतिशत (ए टी सी ई)
i) सबसे बड़ा एकल उधारकर्ता	13.21	2.52
ii) सबसे बड़ा उधारकर्ता समूह	13.21	2.52
iii) 10 सबसे बड़े एकल उधारकर्ता	89.74	17.13
iv) 10 सबसे बड़े उधारकर्ता समूह	91.92	17.55

ए टी सी ई : ऋण + अग्रिम राशियां + अप्रयुक्त मंजूरियां + बकाया गारंटियों का 50% ।

(ञ) पाँच सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों को प्रदान किया गया ऋण :

क्षेत्र	प्रदान किये गये ऋण समायोजित योग का प्रतिशत (ए टी सी ई)
i) वस्त्र और परिधान	10.87
ii) औषधियाँ और औषधि द्रव्य	9.47
iii) रसायन और रंजक द्रव्य	6.55
iv) धातु और धातु प्रक्रमण	5.42
v) इंजीनियरी माल	5.33

- *"प्रदान किये गये ऋण (क्रेडिट एक्सपोज़र)" का हिसाब तारीख 28 जून 1997 के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डूज.एफ आइ डी. सं. 17/01.02.00/96-97 में निर्धारित किये गये अनुसार लगाया गया है ।*

6. चलनिधि :

(क) रुपया-आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता-स्वरूप; और

(ख) विदेशी मुद्रा की आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता-स्वरूप।

(रुपये बिलियन में)

मदें	1 वर्ष से कम या उसके समतुल्य	1 वर्ष से अधिक 3 वर्षों तक	3 वर्षों से अधिक 5 वर्षों तक	5 वर्षों से अधिक 7 वर्षों तक	7 वर्षों से अधिक	योग
रुपया आस्तियाँ	26.89	23.38	13.91	9.00	20.84	94.02
विदेशी मुद्रा की आस्तियाँ	10.99	6.31	6.92	2.34	2.61	29.17
कुल आस्तियाँ	37.88	29.69	20.83	11.34	23.45	123.19
रुपया देयतायें	14.36	20.20	9.49	2.98	36.64	83.67
विदेशी मुद्रा की देयतायें	12.12	8.51	0.82	0.84	6.11	28.40
कुल देयतायें	26.48	30.71	10.31	3.82	42.75	112.07

- *आस्तियों और देयताओं के परिपक्वता-स्वरूप के लिए आस्तियों और देयताओं की विभिन्न मदों का समूहन (बकेटिंग) आस्ति-देयता प्रबंधन प्रणाली से संबंधित तारीख 31 दिसम्बर 1999 के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डी बी एस. एफ आइ डी. सं. सी-11/01.02.00/1999-2000 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निर्दिष्ट समय-समूहों (बकेट्स) में किया गया है।*

7. परिचालनगत-परिणाम :

(क) औसत कार्यशील निधियों से ब्याज आय का प्रतिशत : 7.79 (पिछले वर्ष 9.36)

(ख) औसत कार्यशील निधियों से ब्याजेतर आय का प्रतिशत : 1.07 (पिछले वर्ष 0.27)

(ग) औसत कार्यशील निधियों से परिचालन-लाभ का प्रतिशत : 3.59 (पिछले वर्ष 2.91)

(घ) औसत आस्तियों से प्राप्त प्रतिफल : 2.22% (पिछले वर्ष 2.14%)

(ङ) प्रति (स्थायी) कर्मचारी शुद्ध लाभ : 10.5 मिलियन रुपये (पिछले वर्ष 10.0 मिलियन रुपये)

- *परिचालनगत-परिणामों के लिए कार्यशील निधियों और कुल आस्तियों को पिछले लेखा वर्ष के अंत, अनुवर्ती छमाही के अंत तथा रिपोर्टाधीन लेखा वर्ष के अंत के आंकड़ों के औसत के रूप में लिया गया है। ('कार्यशील निधियों' का उल्लेख कुल आस्तियों के लिए किया गया है।)*

- *प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ का हिसाब लगाने के लिए संवर्गों के समस्त स्थायी और पूर्णकालिक कर्मचारियों को गिना गया है।*

8. 7 जुलाई, 1999 के भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों की शर्तों के अनुसार वायदा दर करारों / ब्याज दर की अदला-बदली ।

1	बकाया लेन-देनों की संख्या	4
2	अनुमानिक मूलधन बकाया राशियों का योग	2.5 बिलियन रुपये
3	अदला-बदला का स्वरूप	बचाव प्रयोजन/देयता प्रबंधन के लिए सभी लेन-देन "फिक्सड फ्लोटिंग" अथवा "फ्लोटिंग फिक्सड" स्वरूप के हैं जो भारत सरकार-प्रतिभूति प्रतिफलों जैसे बाज़ार निर्देश चिह्न पर आधारित हैं ।
4	अवधि	लेन-देन 5 और 10 वर्षों की अवधियों के लिए हैं ।
5	प्रतिपक्षों द्वारा अपना दायित्व पूरा करने में असफल रहने के मामले में होनेवाली हानि ।	23.4 मिलियन रुपये
6	अपेक्षित संपार्श्विक	–
7	अदला-बदली के कारण होनेवाले ऋण-जोखिम का संकेन्द्रण	सभी लेन-देन निर्धारित ऋण-सीमा के अन्दर हैं ।
8	विनिमय पुस्तक का उचित मूल्य	1.1 मिलियन रुपये

एस. श्रीधर
कार्यपालक निदेशक

टी. सी. वेंकट सुब्रमणियन
प्रबंध निदेशक

आर. एम. वी. रामन
कार्यपालक निदेशक

दीपक चटर्जी **शशांक** **शेखर अग्रवाल**
एस. एल. परमार **जानकी बल्लभ**
डॉ. एस. चंद्रा **डॉ. विनयशील गौतम** **डॉ. बुधाजीराव मुलिक**
निदेशक

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **जी. पी. घोष एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार

जी. पी. घोष
साझेदार

मुम्बई,
दिनांक : 27 अप्रैल, 2002

महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

(i) **वित्तीय विवरण**

भारतीय निर्यात-आयात बैंक का तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा, भारत में व्यवहृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किये गये हैं तथा ये सामान्यत: अंतरराष्ट्रीय लेखा मानकों के भी समनुरूप हैं। एक्जिम बैंक का तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा, भारतीय निर्यात-आयात बैंक सामान्य विनियमावली 1982 में दिए गए रूप में तथा ढंग से तैयार किये गये हैं, जिसे भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 28) की धारा 39(2) के अधीन भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया है। भा. रि. बैंक के परिपत्र डी बी एस. एफ आइ डी सं सी. 18/01.02.00/2000-01, दिनांकित 23 मार्च 2001, और उसके बाद में अपेक्षित अनुसार कतिपय महत्त्वपूर्ण वित्तीय अनुपात/आंकड़े "लेखाओं की टिप्पणियाँ" के खंड के रूप में दर्शायी गयी हैं।

(ii) **राजस्व मान्यता**

(क) दंड स्वरूप ब्याज और प्रतिबद्धता प्रभार, जिन्हें नकद आधार पर लेखांकित किया जाता है, को छोड़कर आय/व्यय को प्रोद्भवन आधार पर मान्यता दी गई है। एक्जिम बैंक के बांडों पर दिये जानेवाले भांजन/मोचन के प्रीमियम का परिशोधन बांड की अवधि के दौरान किया गया है और उसे ब्याज के व्ययों में शामिल किया गया है।

(ख) ब्याज और बट्टे का उल्लेख सकल ब्याज में, अनुपयोज्य आस्तियों पर ब्याज घटाकर किया गया है। अनुपयोज्य आस्तियों का निर्धारण, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय सावधि ऋणदात्री संस्थाओं के लिए जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है।

(iii) **आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण**

तुलन-पत्र में दर्शाए गए ऋण और अग्रिम राशियों में केवल मूलधन बकाया राशियाँ भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम द्वारा निपटाये गये दावों की निवल राशियाँ शामिल हैं। प्राप्त होनेवाले ब्याज को "अन्य आस्तियों" में समूहित किया गया है।

देय राशियों की वसूली के लिए ऋण कमज़ोरियों की सीमा तथा संपार्श्विक प्रतिभूति पर निर्भरता के आधार पर ऋण आस्तियों को निम्नलिखित समूहों में वर्गीकृत किया गया है : मानक आस्तियाँ, अवमानक आस्तियाँ, संदिग्ध आस्तियाँ और हानि आस्तियाँ। निधिक सुविधाओं के लिए किए गए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय सावधि ऋणदात्री संस्थाओं को जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप हैं।

(iv) **निवेश**

संपूर्ण निवेश-संविभाग को तीन संवर्गों में वर्गीकृत किया गया है : (क) "परिपक्वता तक धारित" (प्रतिभूतियाँ इस इरादे से अभिग्रहीत की जाती हैं कि उन्हें परिपक्वता तक धारित किया जाए), (ख) "व्यापार के लिए धारित" (प्रतिभूतियाँ इस इरादे से अभिग्रहीत की जाती हैं कि उन्हें अल्पावधिक मूल्य/ब्याज दर के उतार-चढ़ावों आदि का लाभ उठाकर उनका क्रय-विक्रय किया जाए और) (ग) "बिक्री के लिए उपलब्ध" (शेष निवेश)।

निवेशों का निम्नलिखित रूप में और अधिक वर्गीकरण किया गया है (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ, (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (iii) शेयर (iv) डिबेंचर और बांड (v) सहायक कंपनियों/संयुक्त उपक्रमों में निवेश और (vi) अन्य निवेश (वाणिज्य पत्र, पारस्परिक निधियों की यूनिट आदि)

निवेशों के विभिन्न लिखतों का वर्गीकरण, श्रेणीकरण, संवर्गों के बीच परिवर्तन और निवेशों का मूल्य निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय सावधि ऋणदात्री संस्थाओं को जारी किये गये 9 नवम्बर, 2000 के अपने परिपत्र के अनुसार निर्धारित किये गये मानदंडों के अनुसार किया जाता है।

(v) **अचल आस्तियाँ और मूल्यह्रास**

(क) अचल आस्तियों का उल्लेख संचयी मूल्यह्रास घटाकर मूल लागत पर किया गया है।

(ख) मूल्यह्रास का प्रावधान सरल रेखा पद्धति के आधार पर स्वामित्व वाली इमारतों के लिए बीस वर्षों की अवधि में तथा अन्य आस्तियों के लिए चार वर्षों की अवधि में किया गया है।

(ग) वर्ष के दौरान अर्जित आस्तियों के संबंध में, मूल्यह्रास, खरीद वर्ष में, समूचे वर्ष के लिए प्रदान किया गया है तथा वर्ष के दौरान बेची गई आस्तियों के बारे में, बिक्री वर्ष में, मूल्यह्रास नहीं दिया गया है।

(घ) जहाँ किसी अवक्षयी आस्ति को निपटा दिया गया है, त्याग दिया गया है, ढा दिया गया या नष्ट कर दिया है, ऐसी स्थिति में निवल अधिशेष या कमी को राजस्व लेखे में समायोजित कर लिया गया है।

(vi) **विदेशी मुद्रा लेन देनों के लिए लेखांकन**

(क) बैंक की विदेशी मुद्रा देयताओं और विदेशी मुद्रा आस्तियों को (भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार) बैंक के तुलन-पत्र की तारीख को बाज़ार की प्रचलित विनिमय दर में परिवर्तित कर दिया गया है।

(ख) बैंक के विदेश स्थित प्रतिनिधि कार्यालयों से संबंधित आस्तियों और देयताओं का रूपान्तरण तुलन-पत्र की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर किया गया है। उनकी आय और व्यय का रूपांतरण विप्रेषण की औसत विनिमय दर पर किया गया है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के रूपांतरण के फलस्वरूप यदि कोई विनिमय अंतर आता है तो उसे विनिमय-दर उतार-चढ़ाव हेतु आरक्षित निधि के नामे/जमा किया जाता है, सिवाय इसके कि जब यह अंतर मुद्रा की मध्यावधि/दीर्घावधि अदला-बदलियों के कारण उत्पन्न होता है तब उसे "अन्य आस्तियों/अन्य देयताओं" के अधीन वर्गीकृत किया जाता है।

(घ) ऐसे ऋणों, अग्रिमों के बारे में, जिनकी पुनर्अदायगी विदेशी मुद्रा में की जानी है, उनकी विनिमय आय की मान्यता को केवल अंतिम पुनर्अदायगी वर्ष के अनुसार लिया गया है।

(vii) **गारंटियाँ**

(क) अवधि समाप्त गारंटियों को मूल दस्तावेज़ों की वापसी और निरसन तक, आकस्मिक देयताओं के रूप में शामिल किया गया है।

(ख) ई सी जी सी नीतियों के अधीन अरक्षित खण्ड के लिए गारंटियों का प्रावधान परियोजनाओं के पूरे होने तक संभावित हानियों को ध्यान में रखकर किया गया है।

(viii) **कर्मचारियों के सेवांत लाभ हेतु प्रावधान**

बैंक ने, पृथक रूप से भविष्य निधि, उपदान निधि और पेंशन निधि की स्थापना की है, जो आयकर आयुक्त द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। उपदान और पेंशन संबंधी देयताओं का अनुमान बीमांकित आधार पर लगाया गया है और देय राशियाँ यदि कोई हैं, उनका अंतरण प्रत्येक वर्ष उपदान निधि और पेंशन निधि में कर दिया जाता है।

संगठन संरचना

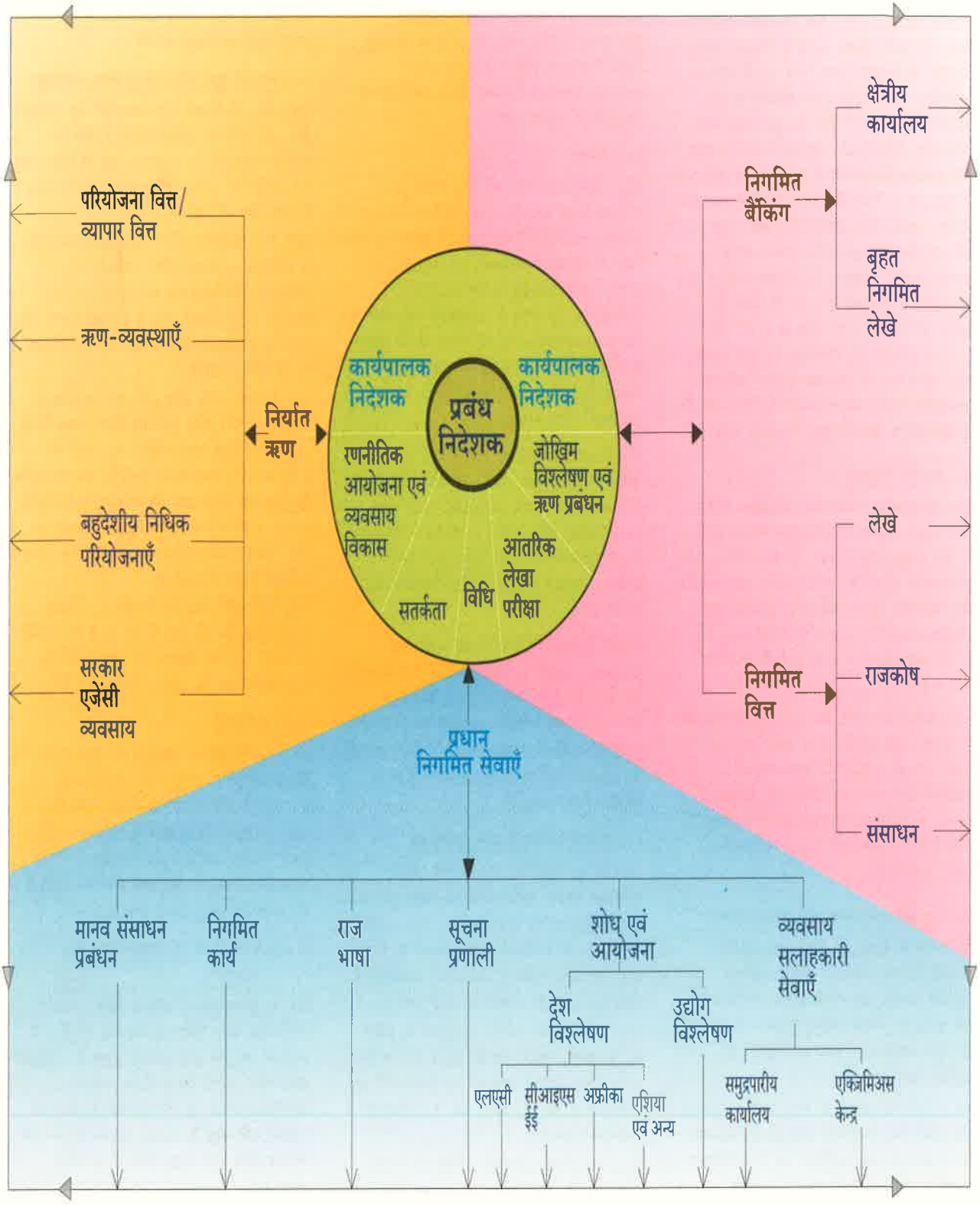
परियोजना वित्त/
व्यापार वित्त
ऋण-व्यवस्थाएँ
बहुदेशीय निधिक
परियोजनाएँ
सरकार
एजेंसी
व्यवसाय
निर्यात
ऋण
कार्यपालक
निदेशक
प्रबंध
निदेशक
कार्यपालक
निदेशक
रणनीतिक
आयोजना एवं
व्यवसाय
विकास
जोखिम
विश्लेषण एवं
ऋण प्रबंधन
आंतरिक
लेखा
परीक्षा
सतर्कता
विधि
निगमित
बैंकिंग
क्षेत्रीय
कार्यालय
बृहत
निगमित
लेखे
निगमित
वित्त
लेखे
राजकोष
संसाधन
प्रधान
निगमित सेवाएँ
मानव संसाधन
प्रबंधन
निगमित
कार्य
राज
भाषा
सूचना
प्रणाली
शोध एवं
आयोजना
व्यवसाय
सलाहकारी
सेवाएँ
देश
विश्लेषण
उद्योग
विश्लेषण
एलएसी
सीआइएस
इई
अफ्रीका
एशिया
एवं अन्य
समुद्रपारीय
कार्यालय
एकत्रिमिअस
केन्द्र